आज़ादी का अमृत महोत्सव

सिडबी

आज़ादी के 75 साल उद्यम का अमृत काल

वार्षिक प्रतिवेदन | 2021-22
(भाग-I)

प्रेषण पत्र

सं. ERDAV/05072022/OUT/2022/15682

05 जुलाई, 2022

सचिव,
वित्तीय सेवा विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

महोदय,

सिडबी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के काम-काज संबंधी वार्षिक लेखे तथा परिचालन की रिपोर्ट

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 की धारा 30(5) के प्रावधानों के अनुसार हम निम्नलिखित दस्तावेज़ एतद्द्वारा अग्रेषित कर रहे हैं।

(1) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वार्षिक लेखे की प्रति; तथा

(2) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की परिचालन रिपोर्ट।

भवदीय,

(शिवसुब्रमणियन रमण)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नक: यथोक्त

सिडबी का निदेशक मंडल

यथा 05 जुलाई, 2022

श्री शिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री वी. सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुदत्त मंडल
उप प्रबंध निदेशक

श्री शैलेश कुमार सिंह

श्री ललित कुमार चंदेल

श्री बी. शंकर

श्री कृष्ण सिंह नगन्याल

श्री मनोमय मुखर्जी

श्री जी. गोपालकृष्ण

श्री आशीष गुप्ता

श्रीमती नूपुर गर्ग

श्री अमित टंडन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रौद्योगिकी में उन्नति की मदद से अस्तित्व में आई डिजिटल ऋणप्रदायगी अब एमएसएमई ऋण-प्रदायगी का स्वरूप बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए बैंक ने प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय लिखतें, उत्पाद व प्रणालियाँ उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में आई 6.6% की गिरावट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुतरफा सुधार के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा मूलभूत संरचना पर व्यय में वृद्धि, अच्छी फसल, निर्यात-वृद्धि में उछाल तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की समर्थनकारी नीति ने इस वृद्धि को संभव बनाया है।

अर्थव्यवस्था के खुलने और टीकाकरण की अनवरत प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत की लगभग 90% जनसंख्या को टीका लग जाने के कारण जनबल-बहुल क्षेत्रों में भी उठाव दिखने लगा है। कोविड वैश्विक महामारी के दुष्प्रभाव के शमन पर केन्द्रित राजकोषीय नीति और पूँजी-व्यय में की गयी बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप भारत एक मज़बूत आधारशिला वाली स्थिर और आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होता दिखता है।

सिडबी में हम एमएसएमई क्षेत्र को मज़बूत बनाकर उसकी जड़ों को गहरा जमाने तथा अर्थव्यवस्था के उभरने के लिए एक सुदृढ़ नींव तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 खरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना चाहती है। उसकी अनुरूपता में सिडबी ने अगले दो वर्षों में अपने तुलनपत्र को 5 खरब रुपये तक ले जाने और एमएसएमई क्षेत्र को उसके अनुरूप ऋण सुलभ कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बैंक एकजुट प्रयास कर रहा है। एमएसएमई पारितंत्र के विकास, ऋण-प्रदायगी के सरलीकरण और एमएसएमई को विकास के अगुआ के रूप में स्थापित करने के लिए बैंक विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

प्रौद्योगिकी में उन्नति की मदद से अस्तित्व में आई डिजिटल ऋणप्रदायगी अब एमएसएमई ऋण-प्रदायगी का स्वरूप बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। बदलते हुए समय को ध्यान में रखते हुए बैंक ने प्रौद्योगिकी-संचालित वित्तीय लिखतें, उत्पाद व प्रणालियाँ उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया है। डिजिटल सुविधाएँ जैसे पीएसबीलोन्स इन 59 मिनट्स और रिसीवेबल्स एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (आरएक्सआइएल) (ट्रेड्स प्लेटफॉर्म) विकसित करने में सिडबी अग्रणी रहा है। बैंक की विकासकर्ता और वित्तदाता की भूमिका में ऐक्य स्थापित करते हुए, सिडबी ऋण-प्रदायगी के नये माध्यम विकसित कर रहा है। जीएसटी सहाय नामक एक ऐसे ही माध्यम की विकास-प्रक्रिया जारी है, जो छोटे व्यवसायों के लिए बीजक-आधारित वित्तीयन (बीजक भुनाई नहीं) का पहला ज्ञात ऐप है। एमएसएमई फॉर्मलाइज़ेशन प्रोजेक्ट नामक एक अन्य डिजिटल पहल पर बैंक की दृष्टि है। इससे एमएसएमई उद्यम असिस्ट पोर्टल के माध्यम से अभिशासन, बाज़ारों तथा वित्तीय सेवाओं तक बेहतर डिजिटल पहुँच पा सकेंगे। इसके फलस्वरूप सभी एमएसएमई और विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के एमएसएमई की समावेशी ऑनबोर्डिंग संभव हो पाएगी। आशा की जा रही है कि उद्यम पंजीकरण से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए नये द्वार खुलेंगे, जिनसे वे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता तथा सरकार से सब्सिडी/प्रोत्साहन आदि पा सकेंगे और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों से अन्य विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा सिडबी ने अपनी ऋण-प्रक्रियाओं को भी कारगर और डिजिटल बनाकर ऋण विषयक पूछताछ से लेकर संवितरण यानी आदि से अंत तक के लिए समाधान उपलब्ध कराए हैं। एमएसएमई के ऋण-प्रदायगी समय को कम करने तथा ऋण की लागत घटाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है।

एमएसएमई के विकास का सिडबी का एजेंडा इसके कर्मचारियों के मजबूत आधार पर चलाया जा रहा है, जिन्होंने चुनौती भरे इस समय में एमएसएमई क्षेत्र की ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वयं को नये सिरे से तैयार और पुनरभिमुख किया है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद इस राजकोषीय वर्ष में बैंक ने विकास-पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा। मुख्य वित्तीय विशेषताएं इस प्रकार रहीं-

- बैंक का आस्ति-आधार वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में ₹2,47,379 करोड़ रहा और उसमें वर्षानुवर्ष 29% की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में ऋण और अग्रिम ₹2,02,252 करोड़ रहे और उनमें वर्षानुवर्ष 29% की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2022 की निवल ब्याज आय ₹3,012 करोड़ रही। निवल ब्याज मार्जिन 1.5% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022 में बैंक ने ₹1,958 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।
- वित्तीय वर्ष 2022 में प्रति शेयर अर्जन ₹36.79 रहा।

व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

बैंक के ऋण व अग्रिम का लगभग 93% हिस्सा संस्थागत वित्त का है। वित्तीय वर्ष 2022 में संस्थागत वित्त के अंतर्गत ₹1,87,885 करोड़ बकाया था। इसमें बैंकों व लघु वित्त बैंकों को पुनर्वित्त (88.79%), गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सहायता (9.55%) तथा अल्प वित्त संस्थाओं को सहायता (1.66 %) शामिल है।

बैंक के अनुरोध पर विचार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्यवर्ती संस्थाओं की तरलता संबंधी चिन्ताओं के समाधान के लिए ₹15,000 करोड़ की एसएलएफ-II तथा एमएसएमई क्षेत्र, खासकर कम ऋण पानेवाले आकांक्षी ज़िलों के अपेक्षाकृत छोटे एमएसएमई की अल्पावधि और मध्यावधि ज़रूरतें पूरी करने के लिए नवोन्मेषी योजनाओं हेतु ₹16,000 करोड़ की एसएलएफ-III प्रदान की है। बड़ी संख्या में एमएसएमई तक पहुँचने के उद्देश्य से एसएलएफ-III के अंतर्गत बैंक ने ऐसी लघुतर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अल्प वित्त संस्थाओं को प्रत्यक्षतः अथवा किसी अन्य माध्यम से सहायता दी है, जो असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में परिचालनरत हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में बैंक ने **'सिडबी एमएसएमई कोविड रिस्पॉन्स फंड (एसएमसीआरएफ)'** नामक विशेष योजना आरंभ की, जिसकी समूह निधि ₹1,000 करोड़ की है। इसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं जैसे गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों, फिन-टेक कंपनियों तथा अल्प वित्त कंपनियों, **पार्श्यल गारंटी पूल लोन इश्युएंस स्कीम** की ऋण लिखतों में निवेश के माध्यम से एमएसएमई/ लघु व्यवसायों/ अल्प वित्त उधारकर्ताओं को सहायता दी जाएगी, जिसमें बैंक अच्छे प्रबंधन और अच्छे कार्यनिष्पादन वाले अनेक लघु एवं मध्यम आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों व अल्प वित्त संस्थाओं को ऋण देगा। यह ऋण किसी तृतीय पक्ष/ व्यवस्थापक द्वारा प्रदान की गयी सामूहिक आंशिक गारंटी के आधार पर होगा। **दो स्तरों पर वित्तीय मध्यवर्तियों के उपयोग वाली स्कीम ऑफ असिस्टेंट टू रेगुलेटेड एंटिटीज रेटिंग**-प्राप्त विनियमित संस्थाओं (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अल्प वित्त संस्थाओं, बैंकों/लघु वित्त बैंकों) को संसाधन सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे अपेक्षाकृत छोटी और रेटिंग-रहित/ कम रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/अल्प वित्त संस्थाओं को आगे उधार दे सकें।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान बैंक के प्रत्यक्ष वित्त परिचालनों में आदि से अंत तक डिजिटल ऋण-प्रक्रिया में सुधार/ परिष्कार पर लगातार ध्यान दिया गया है। इसमें प्री-ऑरिजिनेशन, ऑनलाइन आवेदन, सम्यक सावधानी/ ई-केवाइसी, हामीदारी, मंजूरी, संवितरण, निगरानी सभी का समावेश है, ताकि मापदंडों के अनुरूप ऋण प्रदान करने के साथ-साथ ग्राहक-प्रसन्नता में भी वृद्धि की जा सके। वित्तीय वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष ऋण संविभाग में 22% से अधिक वृद्धि हुई है। बैंक मंजूरी, संवितरण, बकाया और ग्राहक-आधार में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सफल रहा है।

उद्यम पूँजी परिचालनों में बैंक स्टार्टअप्स के लिए निधियों की निधि (एफएफएस), ऐस्पायर निधि और यूपी स्टार्टअप निधि चला रहा है। यथा 31 मार्च 2022 एफएफएस के अंतर्गत सिडबी ने 86 एआईएफ को संचयी रूप से ₹7,225.45 करोड़ की मंजूरियाँ और ₹2,492.24 करोड़ के संवितरण किए।

संवर्द्धन और विकास संबंधी प्रयास

संवर्द्धन और विकास संबंधी बैंक-गतिविधियाँ उद्यम मूल्य-शृंखला के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित हैं, जिसके लिए एमएसएमई पारितंत्र में खास तौर से पिरामिड के निचले पायदान पर अवस्थित घटकों के वित्तीय और गैर-वित्तीय अंतरालों का समाधान किया जाता है। सभी प्रयास मिशन स्वावलंबन नामक एक सर्वसमावेशी ढाँचे के अंतर्गत संचालित

> बैंक का आस्ति-आधार वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में ₹2,47,379 करोड़ रहा और उसमें वर्षानुवर्ष 29% की वृद्धि हुई।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

होते हैं, जिसमें उद्यमिता संस्कृति के विकास और विभिन्न प्रकार के आजीविका एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है।

> बैंक की पीएंडडी संबंधी पहलकदमियों ने 60+ कार्यक्रमों के ज़रिए 4 लाख+ ज़िन्दगियों को छुआ है। इन पहलकदमियों ने 5,300+ उद्यम सृजित किए हैं, रोजगार के 21,000+ अवसर पैदा किए हैं, 3,000+ का क्षमता-निर्माण किया है और 13,800+ शिल्पकारों/गृहोद्यमियों/एमएसई का कौशल-उन्नयन किया है।

युवाओं में उद्यमिता जगाने और अल्पसेवित घटकों के सूक्ष्म उद्यमों व उभरते हुए उद्यमियों तक पहुँचने के लिए समावेशी और नवोन्मेषी गतिविधियों के संचालन हेतु पीएंडडी परिचालनों के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रयास निम्नवत हैं-

- स्वावलंबन चैलेंज फंड (एससीएफ), जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे विकास संगठनों/ शैक्षिक संस्थाओं/ स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो हरित प्रयासों, दीर्घकालिक आजीविका, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच पर विशेष रूप से केन्द्रित होकर प्रयास कर रहे हैं और उद्यमिता-संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। एससीएफ में ऐसी परियोजनाओं का भी समावेश है जिनमें इस कठिन समय में समुत्थानशीलता तथा दीर्घकालिक आय को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेष करने, रोजगार-सृजन, निवेश तथा बाजारों का लाभ उठाने की गुंजाइश है। वित्तीय वर्ष 2022 में विंडो I के अंतर्गत 12 संगठनों को कार्य सौंपा गया। विंडो II भी आरंभ कर दिया गया है, जिसमें 415 आवेदन मिले हैं।
- स्वावलंबन कनेक्ट केन्द्र (एससीके)-ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और ओडिशा के 100 जिलों में परामर्श केन्द्रों के रूप में कार्यरत हैं। इनके ज़रिए लगभग 46,000 आकांक्षियों से संपर्क किया गया है और 5,000+ का मार्गदर्शन किया गया है। इनमें 2,000+ उद्यम स्थापित/ स्तरोन्नत किए गए हैं और 1,200 को ऋण दिलाया गया है।
- परियोजना प्रबंध एकक (पीएमयू)- ये कुल 16 राज्यों में स्थापित हैं, (जिनमें 11 की स्थापना वित्तीय वर्ष 2021 में हुई)। जैसाकि यूके सिन्हा समिति ने संस्तुति की थी, इनका उद्देश्य एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करना तथा राज्यों के बीच उत्तम परिपाटियों का आदान-प्रदान करना है।
- वित्तीय साक्षरता, गाँवों के अंगीकरण और ऋण व बाज़ार से संबद्धता के लिए स्वावलंबन सहायता-सफल- इसके अंतर्गत सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेज इकॉनमी (सेव) को बिहार व झारखंड के कम से कम 120 गाँवों के अंगीकरण वाली एक प्रायोगिक पहल के लिए सहायता दी जा रही है। इसमें 2,400 आजीविका उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों (मौजूदा व भावी, दोनों) तथा प्रवासियों को वित्तीय व साक्षरता प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी ऋण व बाज़ार से संबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022 में 121 गाँवों को अंगीकार किया गया, 2,409 महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिया गया और 1,965 प्रतिभागियों को ऋण से जोड़ने का कार्य संपन्न हुआ। अब इस कार्यक्रम का विस्तार करके 10 राज्यों के 700 गाँवों के 15,000 आजीविका उद्यमियों/सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ा जाएगा।

बैंक की पीएंडडी संबंधी पहलकदमियों ने 60+ कार्यक्रमों के ज़रिए 4 लाख+ ज़िन्दगियों को छुआ है। इन पहलकदमियों ने 5,300+ उद्यम सृजित किए हैं, रोजगार के 21,000+ अवसर पैदा किए हैं, 3,000+ का क्षमता-निर्माण किया है और 13,800+ शिल्पकारों/गृहोद्यमियों/एमएसई का कौशल-उन्नयन किया है।

वैचारिक नेतृत्वकर्ता और सहूलियतदाता की भूमिका

पारितंत्र में सूचना की विषमता को दूर करने के लिए वैचारिक नेता के रूप में हमने क्रेडिट ब्यूरो की साझेदारी में कई पहलकदमियाँ की हैं। 'एमएसएमई पल्स', 'माइक्रोफाइनैंस पल्स', 'क्रिसिडेक्स', 'इंडस्ट्री स्पॉटलाइट' तथा 'फिनटेक पल्स' जैसे हमारे ज्ञान-उत्पाद नीति-निर्माताओं व हितधारकों को मुख्य-मुख्य डाटा की अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि ये अधिकाधिक जनों तक पहुँच सकें।

सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वन में बैंक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएलसीएसएस, एमएसएमई-सीडीपी, ब्याज उपदान योजना और आंशिक ऋण गारंटी योजना जैसी योजनाओं के अलावा बैंक को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पीएमस्वनिधि योजना, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की पशुपालन मूलभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना, दूरसंचार विभाग

के दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण संबंधी उत्पाद-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए परियोजना प्रबंधन समिति तथा औषधि विभाग के औषधि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के क्रियान्वयन साझेदार की भूमिका भी दी गयी है।

सहायक/सहयोगी संस्था नेटवर्क

बैंक के सहायक और सहयोगी संस्था नेटवर्क की भूमिका की मैं सराहना करता हूँ जो एमएसएमई की विविध आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एक सर्वसमावेशी परितंत्र निर्मित करता है। सीजीटीएमएसई ने 31 मार्च 2022 तक संचयी रूप से ₹3.14 लाख करोड़ की ऋण-राशि के लिए 58.59 लाख एमएसई ऋण-खाते खोलने में मदद की है। सीजीटीएमएसई की सहायता-प्राप्त इकाइयों ने 155 लाख रोज़गार पैदा किए हैं और निर्यात में ₹24,033 करोड़ का योगदान किया है। पिछले 7 वर्षों में मुद्रा ने विभिन्न सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से संचयी रूप से ₹53,051 करोड़ की वित्तीय सहायता पुनर्वित्त के रूप में प्रदान की है। आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लैटफॉर्म ने कुल ₹23,735 करोड़ के 13,62,327 बीजकों का वित्तपोषण किया। एसवीसीएल वर्तमान में आठ निधियों के निवेश प्रबंधक के रूप में काम करता है। एसवीसीएल 3 नयी निधियाँ स्थापित करने जा रहा है, जिनमें से 2 निधियाँ असम सरकार और त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर और एक निधि अखिल भारतीय स्तर की होगी। एक्युइटे नामक रेटिंग एजेंसी ने (31 मार्च 2022 तक) भारत के अनेक उद्यमों से संबंधित विभिन्न प्रतिभूतियों, ऋण लिखतों तथा बैंक सुविधाओं की 9000 से अधिक रेटिंग की है। पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स प्लैटफॉर्म की शुरुआत से अब तक 5.01 लाख एमएसएमई को ऋण के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन मिला है। इनमें से 3.64 लाख एमएसएमई को प्लैटफॉर्म पर पंजीकृत ऋणदाताओं से ऋण-सुविधा की मंज़ूरी प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह प्लैटफॉर्म एमएसएमई को ऋण देने का महत्त्वपूर्ण डिजिटल साधन बन गया है। डिजिटल परिदृश्य के विकास और विस्तार के साथ-साथ इसमें और भी नये-नये आयाम जुड़ने की संभावना विद्यमान है।

भावी योजना

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए हम नये क्रियाकलापों की संभावनाएं तलाशते रहेंगे। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना सिडबी की कार्यसूची में ऊँची प्राथमिकता रखता है, ताकि ये अनौपचारिक उद्यम सरकार से मिलने वाले विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकें। भविष्य में उद्यमिता संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से संकेन्द्रित प्रयासों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लेना होगा। इसे समझाने की ज़रूरत है और सिडबी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्याय 1 एमएसएमई दृष्टिकोण

भारत की अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत को मिलनेवाले और इससे प्राप्त हो रहे समर्थन से राष्ट्र की आत्मा का पोषण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.7% की वृद्धि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 में इसमें 6.6% की कमी आयी थी। वित्तीय वर्ष 2023 में इसके 7.2% बढ़ने की उम्मीद है (आरबीआई)। अर्थव्यवस्था तभी सफलतापूर्वक आत्मनिर्भर हो सकती है जब एमएसएमई क्षेत्र में वृद्धि हो।

एमएसएमई क्षेत्र के नेटवर्क में लगभग 6.34 करोड़ उद्यम हैं, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, निर्यात में 45% से अधिक का योगदान है। इस क्षेत्र ने लगभग 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, जो मात्रा के हिसाब से कृषि के बाद सबसे अधिक है। संख्या के अनुपात की दृष्टि से देखें तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली रूप से अधिक (कुल हिस्सेदारी 51%) है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम (कुल हिस्सेदारी 49%) है। इससे पता चलता है कि अनेक प्रकार के अंतर और बुनियादी सुविधाओं के सीमित होने बावजूद पूरे भारत में उद्यमिता विद्यमान है। इसे देखते हुए इन एमएसएमई और उभरते हुए उद्यमियों की आकांक्षाओं का पोषण करना अनिवार्य हो जाता है।

एमएसएमई के लिए सक्षमताकारी वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल में जो उपाय किए हैं, उनमें एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन भी शामिल है, जिसमें प्लांट व मशीनरी में निवेश तथा टर्नओवर, दोनों के मिश्रित मापदंड को एमएसएमई के वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। खुदरा और थोक व्यापार को भी सरकार ने एमएसएमई में शामिल किया है। एमएसएमई के औपचारीकरण को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल आरंभ किया है, ताकि एमएसएमई के पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम हो सके। इससे एमएसएमई औपचारीकरण के दायरे में आकर इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के प्रयास भी किए गए हैं। ये उपाय बिलकुल ठीक समय पर किए गए और वैश्विक महामारी के दौरान एमएसएमई को इनसे बड़ी राहत मिली। वैश्विक महामारी से उपजे दबाव से पार पाने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं- आत्म निर्भर भारत पैकेज का हिस्सा रही एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), ईक्विटी सहायता की जरूरत वाली दबावग्रस्त एमएसएमई के निमित्त ₹20,000 करोड़ का अधीनस्थ ऋण, एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी खरीद में ₹200 करोड़ तक की वैश्विक निविदाओं को अनुमति न देना, सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड का सृजन, जिसमें भारत सरकार एकल ऐंकर निवेशक है और जिसमें मातृ निधि को चरणबद्ध रूप में ₹10,000 करोड़ की आरंभिक बजटीय सहायता का प्रावधान है, तथा जिसे परवर्ती निधियों के जरिए ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है।

एमएसएमई दृष्टिकोण: भावी योजना

एमएसएमई का दृष्टिकोण विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करेगा। ये कारक एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था की मूल्य-श्रृंखला का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

यूरोप में लम्बे समय से चल रहे युद्ध तथा तत्संबंधी प्रतिबंधों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा तेज गति से मौद्रिक सामान्यीकरण के फलस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजारों में आयी अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मूल्यों का दबाव निरन्तर बने रहने की संभावना है। इसके फलस्वरूप अमेरिकी डॉलर में तेजी/ उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं (ईएमई) में गिरावट, इन ईएमई से पूँजी के बहिर्गमन की प्रवृत्तियाँ दिख रही हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी तथा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण तज्जनित मंदी की चिंता बढ़ने लगी है।

घरेलू मोर्चे पर, एक ओर जहाँ मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वहीं आर्थिक गतिविधि ने भी रफ्तार पकड़ी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के ऑबिकस सर्वेक्षण के शुरुआती परिणामों के अनुसार, तिमाही 4: 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता-उपयोग सुधरकर 75.3% हो गया, जबकि तिमाही 3:2021-22 में यह 72.4% रहा था। आनेवाले दिनों में पूँजीगत व्यय को भारत सरकार की ओर से मिल रहे बढ़ावे, क्षमता-उपयोग में सुधार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से माँग में सुधार के फलस्वरूप निवेश की गतिविधि को बल मिलने वाला है। भविष्य में यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए शुभकारी रहेगा। उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़े हुए दाम और नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र की उधार-दरों पर पड़नेवाला कुप्रभाव एमएसएमई क्षेत्र के नकारात्मक पहलू वाले कुछ जोखिम हैं।

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत-से उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में ईसीएलजीएस की सीमा को मार्च 2023 तक के लिए और गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो खास तौर से स्वागत-सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) तथा संबंधित सेवाओं के लिए होगा। इससे कोविड के बाद की दुनिया को इस तरह के संपर्क-गहन क्षेत्रों हेतु अत्यावश्यक राहत मिलेगी। एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने और उसमें तेजी लाने के लिए बजट में ₹6,000 करोड़ के परिव्यय की घोषणा की गई थी, ताकि यह क्षेत्र और अधिक समुत्थानशील, प्रतिस्पर्धी और कार्यकुशल बन सके। साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि योजना का भी नवीकरण करके उसमें निधि का निवेश किया जाएगा। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ₹2 लाख करोड़ का और अतिरिक्त ऋण मुहैया होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

एमएसएमई क्षेत्र को समय पर पर्याप्त ऋण वह महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। डिजिटल ऋणप्रदायगी और प्रौद्योगिकी के विविध रूप वे साधन हैं जिनसे उपयुक्त प्रलेखन के अभाव, पर्याप्त संपार्श्विक प्रदान करने की असमर्थता, सूचना के वैषम्य तथा एमएसएमई को ऊँची ब्याज-दरों पर अनौपचारिक ऋण की ओर धकेलने वाली कष्टदायक आवेदन-प्रक्रियाओं की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। भारत में एमएसएमई के बढ़ते हुए औपचारीकरण, ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्मों से संबद्धता, डिजिटल भुगतान-पद्धतियों के उपयोग, ग्राहकों के डिजिटलीकरण, डिजिटल ऋण-प्रदायगी, ऋणदाता और ऋणकर्ता के बीच न्यूनतम भौतिक संपर्क के ज़रिए स्वचालित लेखा-विश्लेषण का लाभ उठाते हुए एमएसएमई क्षेत्र को त्वरित सेवा दी जा सकती है। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि डिजिटलीकरण के बढ़ जाने से उभरते हुए डाटा-बिन्दुओं के कारण निकट भविष्य में हामीदारी की प्रक्रिया का उद्भव और विकास भी संभव है। उदाहरण के लिए आस्ति-आधारित ऋण-प्रदायगी के बजाय लेनदेन की कम लागत वाली, नकदी-प्रवाह पर आधारित ऋण-प्रदायगी-प्रक्रिया एमएसएमई क्षेत्र को भौतिक रूप से संपार्श्विक के बिना पर्याप्त ऋण प्रदान कर सकती है। इस दिशा में सिडबी बीजक-आधारित वित्तपोषण के लिए जीएसटी सहाय नामक एक ऐप बना रहा है जो इस तरह का पहला प्रयास है।

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, वैसे-वैसे अर्थव्यवस्था को उबारने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती चली जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र के दृष्टिकोण को भारत सरकार के नीतिगत प्रयासों, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे विभिन्न डिजिटल साधनों, जीएसटी नेटवर्क, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म तथा उभरती हुई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माँग से समर्थन मिलेगा। डिजिटल ऋण-प्रदायगी से वर्तमान में अनौपचारिक क्षेत्र में परिचालनरत एमएसएमई इस क्षेत्र के दायरे में आएँगी, जिससे एमएसएमई के ऋण-उठान में मदद मिल सकती है।

एमएसएमई क्षेत्र अब केन्द्रीय भूमिका में आकर भारत के विकास की कहानी लिखने को तत्पर है। नीतिगत और डिजिटल साधनों का लक्ष्य स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक के आगामी 25 वर्षों के अमृत काल में एमएसएमई के उल्लेखनीय योगदान के ज़रिए उन्हें विकास का अग्रदूत बनाना है।

अध्याय 2 कारोबारी पहलक़दमियाँ और समग्र परिचालन

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्था है, और इसी तरह की गतिविधियों में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों का समन्वय करता है।

बैंक के एमएसएमई वित्तपोषण कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है:

वित्तीयन

अप्रत्यक्ष ऋण

बैंकों, गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी), नवयुगीन फिनटेक कंपनियों, लघु वित्त बैंकों और अन्य वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो गुणक प्रभाव पैदा करती है और अल्पसेवित / असेवित एमएसएमई सहित एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपलब्ध ऋण में वृद्धि करती है।

प्रत्यक्ष ऋण

ऋण की मौजूदा कमियों की पूर्ति के लिए निदर्शक ऋण उत्पादों के माध्यम से सिडबी की शाखाओं के माध्यम से सीधे एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बैंकिंग परिवेश आगे वृद्धि कर सकता है।

सूक्ष्म ऋण - प्रयास

साझेदारी के माध्यम से, सबसे निचले स्तर पर उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं और निर्धन व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान करना।

निधियों की निधि

स्टार्ट-अप्स को ईक्विटी सहायता - उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, सरकार की ओर से सिडबी निधियों की निधि का संचालन करता है और उसके अधीन वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्ट-अप को ईक्विटी सहायता प्रदान करता है।

बुनियादी ढाँचा विकास

उद्यम-समूह (क्लस्टर) विकास को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई समूहों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को कम लागत वाला वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की समूह-निधि (समूहनिधि) के साथ सिडबी उद्यम-समूह (क्लस्टर) विकास निधि (एससीडीएफ) की स्थापना की गई है।

हरित वित्तपोषण

हरित वित्तपोषण के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विद्युत वाहन, ऊर्जा दक्षता, आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए नई पहल की जा रही है

संवर्द्धनशील और विकासपरक (पी एंड डी) भूमिका

सभी पी एंड डी गतिविधियाँ "मिशन स्वावलंबन" को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जो उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने और अनेक आजीविकापरक और उद्यमिता संबंधी कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए एक व्यापक ढाँचा है।

बैंक सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई उन्मुख योजनाएँ लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। भारत सरकार ने सिडबी को महामारी प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र तक चलनिधि समर्थन और आर्थिक पैकेज पहुँचाने के लिए विश्वसनीय एजेंसी के रूप में चुना है।

बैंक एमएसएमई क्षेत्र में सूचना संबंधी विषमताएँ दूर करने के लिए डेटा समर्थित संरचनात्मक गतिविधियाँ संचालित करता है।

हितधारकों के बीच समन्वय

एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बैंक राज्य सरकारों, मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, आदि जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी करता है।

सिडबी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, एमएसएमई की ऋणों तक पहुँच में सुधार करने के लिए डिजिटल ऋण को समर्थकारी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बैंक के कार्यालय एवं शाखाएँ

सितम्बर 2022 के अंत में बैंक के के कार्यालय एवं शाखाएँ निम्नवत थी :

10	82	3	6
क्षेत्रीय कार्यालय	शाखा कार्यालय और विस्तारित शाखा कार्यालय	विशिष्ट आस्ति वसूली शाखाएँ (एसएआरबी)	त्वरित ऋण सेवा केंद्र (ईएलएससी)

लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात प्रधान कार्यालय उद्‌भाग पार्श्व और नीतिगत सहायता प्रदान करते हैं

वित्तीय कार्यनिष्पादन

पिछले दो वित्तवर्षों के दौरान बैंक का व्यापारिक निष्पादन निम्नवत् रहा : (₹ करोड़ में)

*वित्तवर्ष 2021 में 24 करोड़ रुपये और वित्तवर्ष 2022 में 37 करोड़ रुपये के साम्य वित्त और विश भुनाई की बकायाराशि को छोड़कर।
वित्तवर्ष 2021 की तुलना में वित्तवर्ष 2022 में बैंक की कुल मंजूरी में 53% की वृद्धि हुई और संवितरण में 50% की वृद्धि हुई।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

ऋण एवं अग्रिम

बैंक के ऋण और अग्रिम 2 लाख करोड़ रुपये के उपलब्धि-सीमा पार कर गए और 31 मार्च, 2022 तक ये 2,02,252 करोड़ रुपये हो गए, जिसमें वित्तवर्ष 2021 की तुलना में 29% की वृद्धि दर्ज हुई।

आस्ति आधार

वित्तवर्ष 2022 के अंत में बैंक का आस्ति आधार 29% की वार्षिक वृद्धि के साथ 2,47,379 करोड़ रुपये रहा।

बैंक के जुटाए गए संसाधनों/देनदारियों में वृद्धि मुख्य रूप से उधार-राशियों में वृद्धि (पीएसएलसी में कमी के फलस्वरूप बैंकों से प्राप्त जमा, भा.रि.बैंक से उधार, बाजार उधार, आदि) के कारण हुई। टियर 1 बॉन्ड को पूंजी में बदलने के कारण पूंजी और (निवल संपत्ति) नेटवर्थ में वृद्धि हुई।

ऋण एवं अग्रिम
(₹ करोड़)

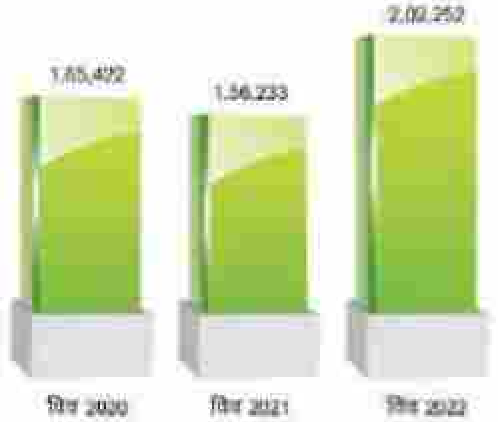

आस्ति आधार
(₹ करोड़)

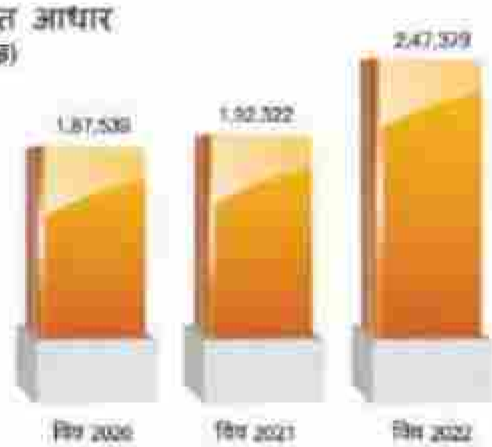

आस्ति
(₹ करोड़)

देयता रूपरेखा
(₹ करोड़)

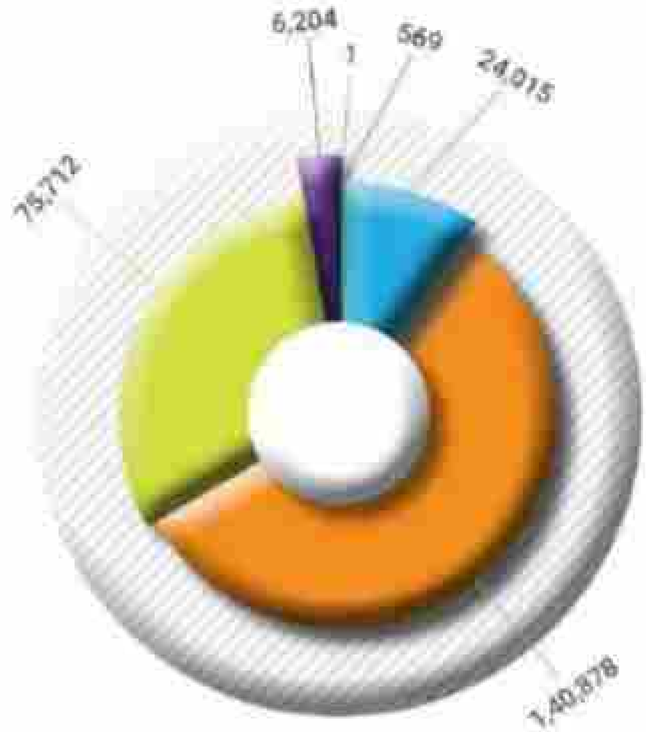

आय और मार्जिन

वित्तवर्ष 2022 के लिए कुल आय 9,139 करोड़ रुपये रही, जो वित्तवर्ष 2021 की तुलना में 18% कम है। वित्तवर्ष 2022 के लिए शुद्ध ब्याज आय भी 18% घटकर 3,012 करोड़ रुपये रह गई। वित्तवर्ष 2021 की तुलना में वित्तवर्ष 2022 में शुद्ध ब्याज मार्जिन में 54 बीपीएस की गिरावट आई है और यह 1.5% रहा है। गिरावट घटती ब्याजदर वाले परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी दरों पर एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

(₹ करोड़)

निवल लाभ

बैंक ने वित्तवर्ष 2022 के दौरान 1,958 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया, जिसमें वित्तवर्ष 2021 की तुलना में 18% की गिरावट है।

(₹ करोड़)

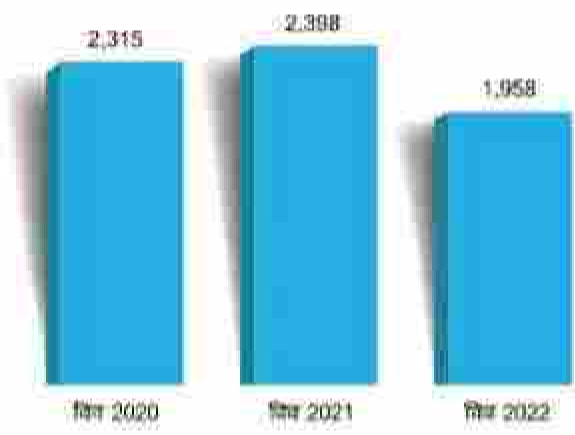

परिचालन व्यय और लागत-आय अनुपात

वित्तवर्ष 2022 के लिए परिचालन व्यय 698 करोड़ रुपये रहा, जिसमें वित्तवर्ष 2021 से 25% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है। वित्तवर्ष 2022 के दौरान लागत-आय अनुपात बढ़कर 20% हो गया।

(₹ करोड़)

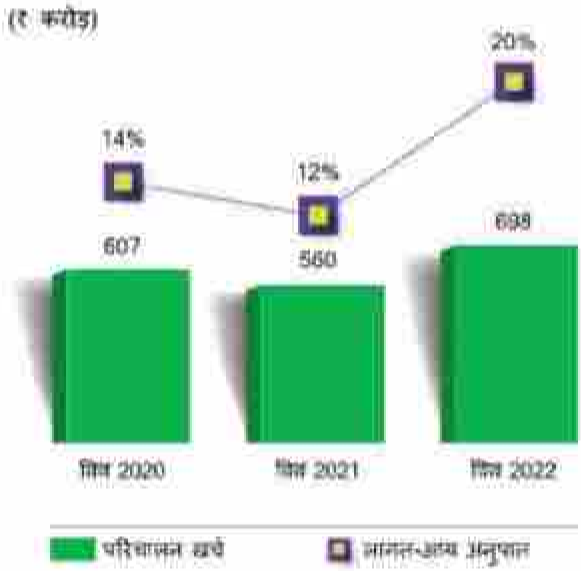

आस्ति गुणवत्ता माप

यथा 31 मार्च ,2022 में सकल एनपीए 0.11% और शुद्ध एनपीए 0.07% रहा, जिसमें वित्तवर्ष 2021 की तुलना में क्रमशः 7 बीपीएस और 5 बीपीएस का सुधार हुआ।

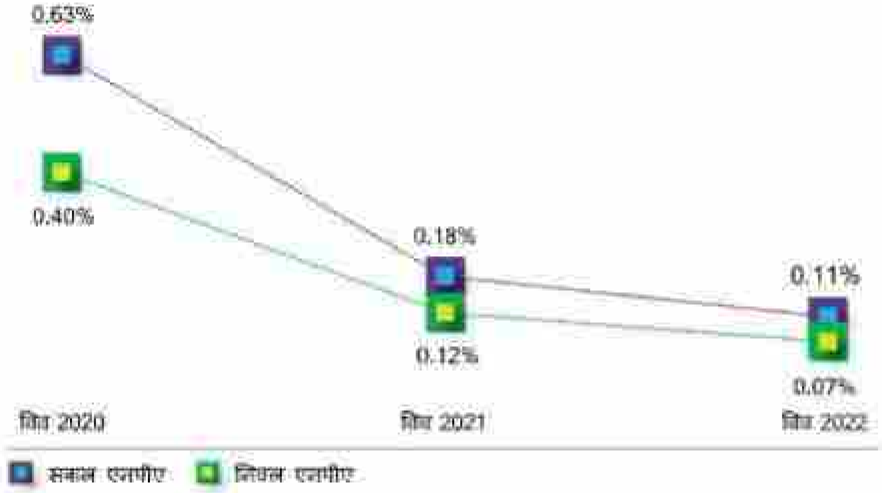

शेयरधारकों का प्रतिफल

वित्तवर्ष 2022 में प्रति शेयर आय (ईपीएस) 36.79 रुपये रही, जो वित्तवर्ष 2021 में 45.09 रुपये थी।

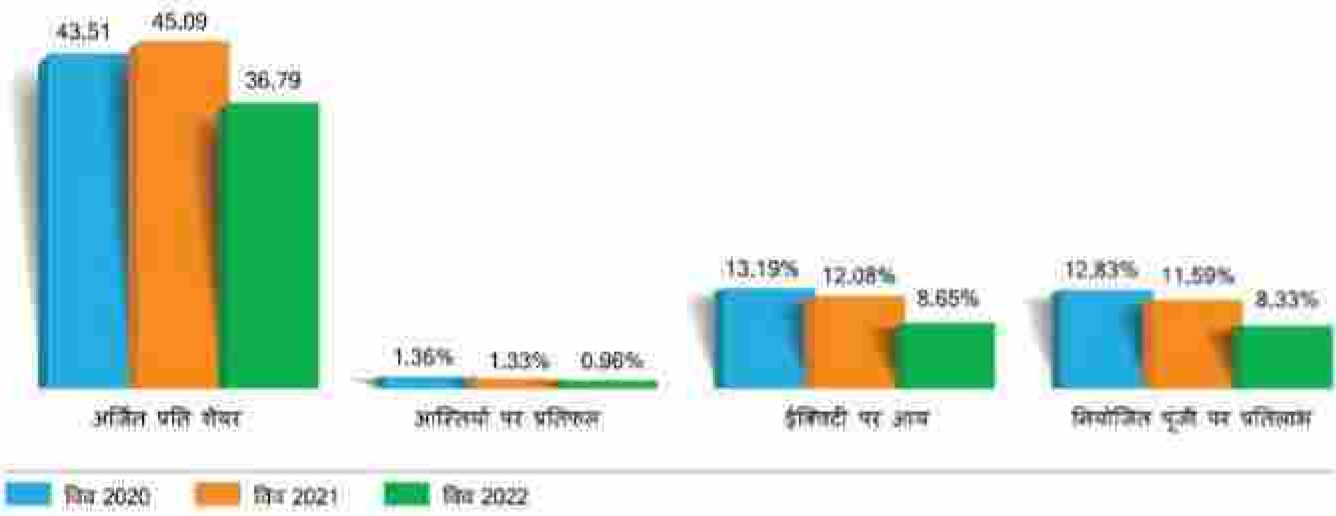

अन्य प्रमुख मापदंड

प्रावधान सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) वित्तवर्ष 2022 के अंत में 96% रहा, जबकि वित्तवर्ष 2021 के अंत में यह 93% था।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात वित्तवर्ष 2022 के अंत में 24.28% रहा, जबकि वित्तवर्ष 2021 के अंत में यह 27.49% था।

वित्तवर्ष 2022 में प्रति कर्मचारी कारोबार बढ़कर 205.54 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्तवर्ष 2021 में 154.08 करोड़ रुपये था। वित्तवर्ष 2022 के दौरान प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ 1.99 करोड़ रुपये रहा।

व्यवसाय कार्यनिष्पादन

संस्थागत वित्त-

संस्थागत वित्त बैंक के ऋण और अग्रिमों का लगभग 93% है। वित्तवर्ष 2022 के अंत में संस्थागत वित्त के अंतर्गत बकाया राशि 1,87,885 करोड़ रुपये रही। संस्थागत वित्त की संरचना निम्नवत् है :

संस्थागत वित्त का संघटन

(₹ करोड़)

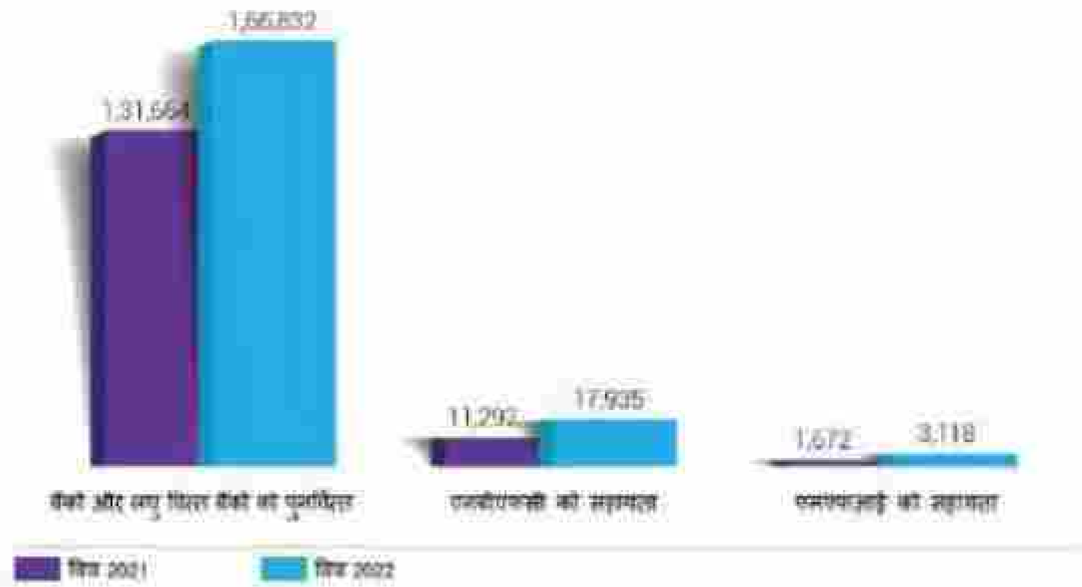

संस्थागत वित्त उद्योग के संविभाग का संघटन

बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित) और राज्य वित्त निगम (एसएफसी) को पुनर्वित्त-

पुनर्वित्त परिचालनों के माध्यम से, बैंक एमएसई को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएलआई के संसाधन बढ़ाता है। 31 मार्च, 2022 को बैंक का पुनर्वित्त बकाया 1,66,832 करोड़ रुपये रहा, जो वार्षिक आधार पर 26.71% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तवर्ष 2022 तक 32 वाणिज्य बैंक और 10 लघु वित्त बैंक बैंक के सक्रिय ग्राहक हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋणों की कमी में से भा.रि.बैंक द्वारा आवंटित कोष के अंतर्गत संचयी संवितरण 31 मार्च, 2022 तक 2,15,678.79 करोड़ रुपये रहा, जिससे विभिन्न बैंकों के अंतिम उधारकर्ता के रूप में 33.34 लाख एमएसई लाभान्वित हुए।

एनबीएफसी को सहायता-

बैंक की एनबीएफसी आस्ति बही 17,935 करोड़ रुपये रही, जो 54 एनबीएफसी से संबंधित थी।

वित्तवर्ष 2022 में आरंभ की गई विशेष योजनाएँ :

भा.रि.बैंक विशेष चलनिधि सुविधा II के अंतर्गत वित्तपोषण	कोविड-19 महामारी से प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र की चलनिधि आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बीबीबी- और उससे अधिक की न्यूनतम रेटिंग वाली एनबीएफसी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
भा.रि.बैंक विशेष चलनिधि सुविधा III के अंतर्गत वित्तपोषण	सबसे छोटे एमएसई उद्यमों तक पहुँचने के लिए, सिडबी ने एनबीएफसी के लिए दोहरा मध्यवर्तन (डबल इंटरमीडिएशन)-2021 योजना (एफएआई-डीआई-2021) आरंभ की। इस योजना में सिडबी के माध्यम से दोहरे मध्यवर्तन की परिकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से विनियमित संस्थाओं (आरई) को इस प्रयोजन से संसाधन सहायता प्रदान की जाती है कि वे अंतिम लक्ष्यगत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण में संलिप्त अपेक्षाकृत छोटे और बिना रेटिंग वाले / कम रेटिंग वाले एनबीएफसी / एमएफआई को आगे उधार दे सकें / ऑन-लेंडिंग कर सकें।
एनबीएफसी के साथ सह-वित्तीयन	अल्पसेवित/असेवित एमएसएमई तक पहुँचने के लिए एक एनबीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वित्तवर्ष 2023 की पहली छिमाही में परिचालन आरंभ होने की आशा है, जो प्राथमिकता क्षेत्र वाले उधार को सहज बनाने के भारत सरकार / भा.रि.बैंक के उद्देश्य के अनुरूप है।

एमएफआई को सहायता

बैंक ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एमएफआई के नैगम अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) और परिचालन दक्षता में वृद्धि की है, जिससे इस क्षेत्र को सुचारु रूप से पर्याप्त मात्रा में ऋण की उपलब्धता का संभव हुई है। बैंक ने देश के अल्पवित्त (माइक्रोफाइनेंस) क्षेत्र को एक पूर्ण विकसित उद्योग-क्षेत्र में बदल दिया था, जिसकी परिणति के रूप में कई एमएफआई यूनिवर्सल बैंक / लघु वित्त बैंक में रूपांतरित होने में हुई थी।

सिडबी की अल्पवित्त गतिविधियों के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 तक कुल मिलाकर 23,460 करोड़ रुपये की संचयी सहायता संवितरित की गई, जिससे लगभग 4.83 करोड़ निर्धन ग्राहक लाभान्वित हुए। सिडबी का बकाया अल्पवित्त संविभाग (पोर्टफोलियो) 31 मार्च, 2022 को 3,118 करोड़ रुपये था।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान आरंभ की गई विशेष योजनाएँ

सिडबी एमएसएमई कोविड प्रतिकार निधि (रिस्पांस फंड) (एसएमसीआरएफ)	1000 करोड़ रुपये की कुल समूह निधि के साथ आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और अल्पवित्त कंपनियों जैसी वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के ऋण लिखतों में निवेश के माध्यम से एमएसएमई / छोटे व्यवसायों / सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं को वित्तपोषण प्रदान करना है।
आंशिक गारंटी पुन ऋण निर्गम योजना	बैंक कई छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई को अच्छी तरह से प्रबंधित और निष्पादित करने के लिए ऋण प्रदान करता है, जिसके लिए किसी अन्य पक्ष / व्यवस्थापक द्वारा प्रदत्त सामान्य आंशिक गारंटी दी जाती है। इस योजना ने भारत में लाखों अल्पसेवित व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाओं और व्यवसायों के समक्ष कोविड -19 महामारी के कारण प्रस्तुत चलनिधि चुनौतियों सुगम बनाकर अंतिम उपयोग को लक्षित किया है।
द्वि-स्तरीय वित्तीय मध्यवर्तन का उपयोग करते हुए विनियमित संस्थाओं (आरई) के माध्यम से सहायता की योजना	इस योजना में सिडबी के माध्यम से दोहरे मध्यवर्तन की परिकल्पना की गई है, जिसके माध्यम से विनियमित संस्थाओं (आरई) को इस प्रयोजन से संसाधन सहायता प्रदान की जाती है कि वे अंतिम लक्ष्यगत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के वित्तपोषण में संलिप्त अपेक्षाकृत छोटे और बिना रेटिंग वाले / कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/एमएफआई को आगे उधार दे सकें / ऑन-लेंडिंग कर सकें।

प्रत्यक्ष वित्त

प्रत्यक्ष वित्त संविभाग (पोर्टफोलियो) की बकायाराशि मार्च 2021 के 11,581 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2022 तक 14,150 करोड़ रुपये हो गई, जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान आरंभ की गई विशेष योजनाओं अर्थात् अराइज, स्थापन, लिक्विड 2.0, ईसीएलजीएस और आरोग / श्वास के अंतर्गत अधिक उपयोग रहा।

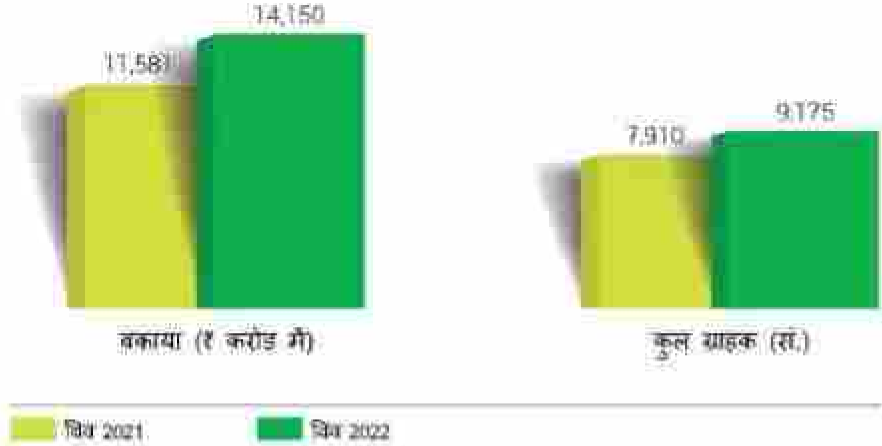

प्रत्यक्ष वित्त संविभाग (पोर्टफोलियो) की बकायाराशि मार्च 2021 के ₹11,581 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2022 तक ₹14,150 करोड़ रुपये हो गई, जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान आरंभ की गई विशेष योजनाओं अर्थात अराइज, स्थापन, लिक्विड 2.0, ईसीएलजीएस और आरोग / श्वास के अंतर्गत अधिक उपयोग रहा।

एमएसएमई के व्यापक वर्ग तक पहुँचने के लिए, कुछ मौजूदा उत्पादों का दायरा बढ़ाने के अतिरिक्त, नीति और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कई गतिविधियाँ / नए उत्पादों की प्रक्रियाएँ सरल बनाकर उन्हें आरंभ किया गया।

01 अराइज और स्थापन

एसएलएफ-3 के अंतर्गत, सिडबी ने प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत दो नए उत्पाद अर्थात् अराइज और स्थापन लॉन्च किए। वित्तवर्ष 2022 के अंत तक, 1,871 एमएसएमई को कुल 2,852 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए, जिनमें से 1,853 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके थे।

02 त्वरित (विस्तार) और लिक्विड 2.0

वित्तवर्ष 2022 के दौरान, लिक्विड 2.0 आरंभ की गई और त्वरित योजना का विस्तार किया गया। दोनों योजनाएँ भा.रि.बैंक की एसएलएफ-2 के अंतर्गत थीं। वित्तवर्ष 2022 के अंत तक, दोनों योजनाओं में, 2,148 एमएसएमई को कुल 1,297 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए, जिनमें से 1,247 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे।

क प्रत्यक्ष वित्तीयन व्यवसाय का रणनीतिक पुनरभिमुखीकरण किया गया, ताकि उसका प्रभाव अधिकतम किया जा सके, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

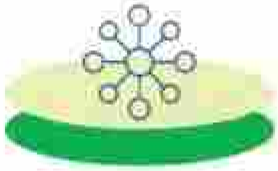

आधार का विविधीकरण

नई पहलकदमियों /उत्पादों के परिणामस्वरूप ग्राहक आधार में 16% की वृद्धि हुई और वित्तवर्ष 2022 के अंत में यह 9,175 पर था। ग्राहक आधार का विस्तार लगातार तीसरे वर्ष जारी रहा, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 47% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सिडबी [एनटीएस] के ग्राहकों को लक्षित उधार देने के साथ-साथ मूल उपकरण विनिर्माताओं और उद्योग संघों के साथ त्वरित प्रदायगी वाली योजनाएँ और समझौता ज्ञापन आरंभ करने के कारण संभव हुई।

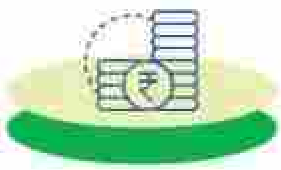

तीव्रतर प्रदायगी

तीव्रतर प्रदायगी मॉडल के परिणामस्वरूप ऋण प्रदायगी में औसत कार्रवाई समय (टीएटी) कम हो गया। जबकि समग्रतः टीएटी 11 दिन रहा, किंतु नए और त्वरित प्रदायगी वाले उत्पादों के लिए यह लगभग 9 दिन रहा।

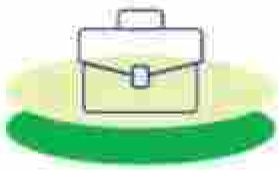

दीर्घकालिक और गुणवत्तापरक संविभाग (पोर्टफोलियो) का निर्माण

नीति/ संरचना में पुनर्विन्यास ने बैंक को वित्तवर्ष 2021 की तुलना में वित्तवर्ष 2022 के अंत में प्रत्यक्ष ऋण संविभाग में न केवल 22% की वृद्धि प्राप्त करने में सहायता की, बल्कि बैंक को टिकाऊ और गुणवत्तापरक संविभाग बनाने में भी सक्षम बनाया। 31 मार्च, 2022 को कुल प्रत्यक्ष ऋण संविभाग का निवल एनपीए 1.64% था (प्रावधानों को घटाकर बकाया) जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 1.67% था।

ख प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत व्यवसाय समर्थकारी कारक :

I

ओईएम/उद्योग संघों से व्यवस्था (टाई-अप)

एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रदायगी में तेजी लाने के लिए, बैंक ने अपनी ऋण प्रदायगी व्यवस्था (सीडीए) का विस्तार 45 मशीन आपूर्तिकर्ताओं और 3 उद्योग संघों तक कर दिया।

II

नए और त्वरित प्रदायगी वाले उत्पादों का शुभारंभ

बैंक ने 9 नए उत्पादों / परिवर्ती उत्पादों (वेरिएंट) (आरोग, श्वास, एराइज, स्थापन, लिक्विड 2.0, त्वरित (विस्तार), पीएम वानी, स्टेप्स, यूएसपी आदि) को मुख्य रूप से कोविड -19 से लड़ने में मदद करने पर केंद्रित किया। वित्तवर्ष 2022 के दौरान नए उत्पादों के अंतर्गत कुल मंजूरी और संवितरण क्रमशः लगभग 5,214 करोड़ रुपये (5,169 ग्राहक) और 4,286 करोड़ रुपये (5,189 ग्राहक) रहा। औसत ऋण का आकार लगभग 99 लाख रुपये था।

III

कार्यशील पूँजी प्रदान करने के लिए नई व्यवस्थाएँ

बैंक ने एमएसएमई को कार्यशील पूँजी सीमा प्रदान करने के लिए मौजूदा आईडीबीआई बैंक के अतिरिक्त, यस बैंक और सिटी यूनियन बैंक के साथ समझौता किया। बैंक ने कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) प्रदान करने के लिए एमएसएमई उत्पादन वृद्धि के लिए सिडबी सावधि ऋण (स्टेप) नामक एक नई योजना भी आरंभ की।

IV कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए नई पहलक़दमियाँ

कोरोना विषाणु महामारी के दौरान उद्योग पुनर्जीवन के लिए समय पर कार्यशील पूँजी सहायता (त्वरित)

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, आपातकालीन ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत कोरोना विषाणु महामारी के दौरान उद्योग पुनर्जीवन के लिए समय पर कार्यशील पूँजी सहायता (त्वरित) आरंभ की गई, जो राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार थी। इसमें एनसीजीटीसी द्वारा परिचालन दिशानिर्देशों में बदलाव के कारण समय-समय पर संशोधन किए गए। 31 मार्च, 2022 तक त्वरित के सभी संस्करणों के अंतर्गत कुल मंजूरी 2,217 करोड़ रुपये (4,564 ग्राहक) रही।

कोविड-19 महामारी के दौरान बहाली और नैसर्गिक संवृद्धि के लिए एमएसएमई को सिडबी सहायता (आरोग)

यह योजना कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उन सभी एमएसएमई को 5.50% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याजदर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई, जो ऐसे उत्पादों का विनिर्माण कर रहे थे या सेवाएँ प्रदान कर रहे थे, जो सीधे कोरोना विषाणु से लड़ने से संबंधित थीं। 31 मार्च, 2022 तक कुल मंजूरी 408 करोड़ रुपये (329 ग्राहक) रही।

कोविड-19 की दूसरी लहर के विरुद्ध युद्ध में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हेतु सिडबी सहायता (श्वास)

यह योजना उन सभी एमएसएमई को 4.50% की रियायती ब्याजदर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई, जो चिकित्सीय उपयोग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर / ऑक्सी जनरेटर / ऑक्सीजन कंसंट्रेटर / तरल ऑक्सीजन के निर्माण में लगे हुए थे या सीधे ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। 31 मार्च, 2022 तक कुल मंजूरी 84 करोड़ रुपये (80 ग्राहक) रही।

ग प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत डिजिटल पहल और आंतरिक प्रक्रिया में सुधार :

आरंभ से लेकर संवितरण/निगरानी तक आद्योपांत (**एंड-टू-एंड) डिजिटल ऋण** प्रदायगी मॉडल के लिए, बैंक एक परियोजना के साथ जुड़ा था। यह प्रक्रिया ई-केवाईसी / डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (डीडीई) के साथ-साथ, विभिन्न सार्वजनिक डेटाबेसों (जैसे जीएसटी, आईटीआर, बैंक विवरण, एमसीए, क्रेडिट ब्यूरो, आदि) के साथ जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं मूल्यांकन मॉडल अर्थात् स्मार्ट के साथ एकीकृत थी, जिससे यह एक क्लिक पर ग्राहक संबंधी सम्यक् कर्तव्यपरायणता और मानदंड आधारित (पैरामीटराइज्ड) निर्णय लेने में सक्षम थी।

बैंक ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) द्वारा प्रदत्त पंजीकरण एपीआई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया जारी की। ऋण प्रलेखन/दस्तावेजीकरण सॉफ्टवेयर को कानूनी दस्तावेज़ों के डिजिटल निष्पादन के लिए एनईएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली मौलिक सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया।

डिजिटल प्रलेखन निष्पादन (डीडीई)

यह एनईएसएल के माध्यम से आधार से प्रमाणीकरण के आधार पर उधारकर्ता/गारंटर के ई-हस्ताक्षर प्रगृहीत कर स्वचालित रूप में विधिक प्रलेखन का कार्य संपन्न करना सुनिश्चित करता है। डीडीई को 22 राज्यों में लागू किया गया और कुछ अन्य राज्य के लिए यह प्रक्रियाधीन था।

जोकाटा का जीएसटी आधारित 'स्वरा [स्रोतन, निगरानी और जोखिम विश्लेषण]' नामक एसएमई डीएनए उत्पाद, जिसे हामीदारी के समय पूरक जोखिम मूल्यांकन उपकरण के रूप में और सहायताप्राप्त उधारकर्ताओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आरंभ किया गया।

फिनटेक/खाता समूहकों (एग्रीगेटर) की क्षमताओं से युक्त डिजिटल प्लेटफार्मों की उपस्थिति और क्रेडिट इतिहास, व्यावसायिक लेनदेन, बैंकिंग, आदि से संबंधित डेटा की उपलब्धता के परिणामस्वरूप एमएसएमई ऋण मंजूरियों में अधिकाधिक दक्षता आई।

घ

उद्-भाग के कार्यकलापों का प्रभाव

प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों के आद्योपांत (एंड टू एंड) डिजिटलीकरण के कारण, एमएसएमई को सिडबी से वित्तीय सहायता माँगने में अत्यधिक सुगमता एवं सहजता हुई।

कोविड लहर पर विजय पाना - सिडबी द्वारा सृजित प्रभाव - विशेष चलनिधि सुविधा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वित्तपोषण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए सिडबी को तीन किस्तों में 46,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की।

I

भारतीय रिज़र्व बैंक -एसएलएफ-I के अंतर्गत प्राप्त 15,000 करोड़ रुपये में से सिडबी ने 13,022 करोड़ रुपये अभिनियोजित किए हैं।

II

भारतीय रिज़र्व बैंक के एसएलएफ-II के अंतर्गत प्राप्त 15,000 करोड़ रुपये में से सिडबी ने 15,371 करोड़ रुपये अभिनियोजित किए हैं।

III

भारतीय रिज़र्व बैंक के एसएलएफ-III के अंतर्गत प्राप्त 16,000 करोड़ रुपये में से सिडबी ने 6,337 करोड़ रुपये अभिनियोजित किए हैं।

बुनियादी ढाँचा विकास - सिडबी समूह (क्लस्टर) विकास गतिविधियाँ

सिडबी विभिन्न मूर्त (हार्ड) और अमूर्त (सॉफ्ट) उद्यम-समूह (क्लस्टर) कार्यक्रम सुकर बनाने में लगा हुआ है। यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के अंतर्गत,

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई समूहों के विकास की दिशा में बुनियादी ढाँचे के सृजन के लिए राज्य सरकारों/राज्य सरकार प्रायोजित संस्थानों की सहायता के लिए सिडबी को 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उद्यम-समूह (क्लस्टर) विकास के महत्वपूर्ण एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिडबी ने वित्तवर्ष 2022 के दौरान एक विशेष उद्यम-समूह (क्लस्टर) विकास उद्-भाग स्थापित किया है।

सिडबी उद्यम-समूह विकास निधि (एससीडीएफ) स्वरूप में अत्यंत व्यापक है, जिसमें तीन व्यापक श्रेणियाँ अर्थात् (1) एमएसएमई परिक्षेत्र (इको-स्पेस) में औद्योगिक और कृषि-संबद्ध क्षेत्र, (2) एमएसएमई समूहों में और उसके आसपास सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएँ और (3) एमएसएमई समूहों से कनेक्टिविटी के अंतर्गत आने वाले एमएसएमई उद्यम-समूहों के विकास के लगभग सभी क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं। सिडबी द्वारा राज्य सरकारों को 7 वर्ष की अवधि के लिए सुलभ ऋण के रूप में सहायता की पेशकश की जाएगी।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान, 11 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश को 5,968.50 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता की गई। 31 मार्च, 2022 तक, 1086 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए 37 परियोजनाओं (34 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) के प्रति 5 राज्यों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई। एससीडीएफ के अंतर्गत 22 परियोजनाओं के लिए कुल 180 करोड़ रुपये का संवितरण भी किया गया।

अन्य उद्यम-समूह संबंधी कार्यक्रम

यूरोपीय संघ स्विच एशिया वाँस परियोजना : आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत तैयार करने के साथ-साथ लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके, यह परियोजना 9 राज्यों के 26 जिलों में लागू की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत 1,386 उद्यमों को ऋण-संबद्धता (क्रेडिट लिंकेज) के साथ 2,200 से अधिक उद्यम बनाए गए हैं।

एमएसएमई उद्यम-समूह संबंधी कार्यक्रम (व्यवसाय विकास सेवाएँ) : संस्थागत क्षमता निर्माण, सेवाओं तक पहुँच की सुविधा, एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और उद्यम-समूहों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह कार्यक्रम 5 समूहों में आयोजित किया गया।

ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन गतिविधियाँ : सिडबी का हरित जलवायु और ऊर्जा दक्षता केंद्र 100 एमएसएमई समूहों को लक्षित कर रहा है, ताकि एमएसएमई में संसाधन दक्षता और स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए उनके दीर्घकालिक अस्तित्व, विकास और प्रतिस्पर्धी-क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस पहल से लगभग 4000 एमएसएमई के लाभान्वित होने की आशा है।

हरित वित्तपोषण

सिडबी ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, एमएसएमई क्षेत्र में शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए समर्पित हरित वित्त योजनाओं के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न विकासपरक गतिविधियों का समर्थन करना, ताकि एमएसएमई द्वारा जलवायु-सानुकूल उपाय अपनाने का कार्य सुकर बनाने के लिए जागरूकता में वृद्धि तथा परिवेश का निर्माण किया जा सके। तीसरा, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और जोखिम साझेदारी सुविधा सहायता के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का वित्तपोषण करें।

जलवायु-परिवर्तन का सामना करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की समुत्थानशीलता बढ़ाना और ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी26) में देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप एमएसएमई में हरित प्रयासों के लिए सहूलियत देना

हरित प्रयासों पर बल व प्राथमिकताएँ

जलवायु संबंधी उपाय, स्वच्छ ऊर्जा, सौर, ई-यातायात, बैटरी, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) के जरिये ऊर्जा दक्षता के लिए 2022 के केन्द्रीय बजट में घोषित नीति को सहायता प्रदान करना

वर्ष के दौरान सिडबी ने विभिन्न प्रयास किए हैं

01

हरित वित्तपोषण-उत्पाद

"हरित वित्त योजना" आरंभ की, जिसमें नवीकरणीय, परिवहन, अपशिष्ट, ऊर्जा, आवागमन आदि क्षेत्र और पर्यावरणीय, सामाजिक, अभिशासन (ईएसजी) मापदंड समाहित हैं। मौजूदा योजनाओं जैसे आदि से अंतराष्ट्र ऊर्जा दक्षता (4ई) वित्तपोषण योजना और टिफ़ाक-सिडबी (सृजन) कार्यक्रम आदि का पुनरावलोकन करके उन्हें सरल बनाया गया। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान हरित ऋणों में 168% की वृद्धि दर्ज हुई।

02

ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए आंशिक जोखिम साझेदारी सुविधा

ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) के माध्यम से क्रियान्वित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का संवर्द्धन। इस सुविधा में सहभागी वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) से सहायता-प्राप्त ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए जोखिम साझेदारी सुविधा प्रदान की जाती है। यथातिथि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इरेडा आदि 13 बैंकों/एनबीएफसी को सहभागी वित्तीय संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 तक इस सुविधा के अंतर्गत 45 ईई परियोजनाओं को कुल 476.44 करोड़ की परियोजना लागत के प्रति ₹231 करोड़ के ऋण और ₹173.31 करोड़ की गारंटीकृत राशि के रूप में सहायता दी गयी है।

03

समस्त भारत में क्लस्टर-स्तर की पहल

हरित एवं स्वच्छ प्रयास अपनाने के लिए 100 एमएसएमई क्लस्टरों को मार्गदर्शन सहायता दी गयी है। कालान्तर में इससे ऊर्जा के उपभोग तथा ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और संसाधन-उपभोग में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे भारत सरकार के आत्म-निर्भर और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल के एमएसएमई समूहों 10,000 एमएसएमई को लक्ष्य में रखकर गतिविधियाँ शुरू की गयीं।

04

सिडबी के लिए कार्बन शून्यता

सीओपी26 में की गई घोषणा की अनुरूपता में सिडबी ने चरणबद्ध तरीके से अपने कार्बन-उत्सर्जन में कटौती करने और अंततः अगले उपाय के रूप में 2024 तक कार्बन-शून्य बन जाने का निर्णय किया है। आशा है कि इस प्रयास से इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं व हितधारकों को प्रेरणा मिलेगी।

05

हरित जलवायु निधि (जीसीएफ)

जीसीएफ में प्रस्तुत करने के लिए सिडबी संभावित परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर कार्यरत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत का राष्ट्रीय पदनामित प्राधिकरण) ने कुल लगभग 1250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तीन परियोजनाओं के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया है।

06

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

सिडबी ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों तथा एएफडी, एडीबी, केएफडब्ल्यू, जीआईज़ेड, वर्ल्ड बैंक, द मॉण्ट्रियल ग्रुप, आईडीएफसी आदि के साथ सहयोग को पुनरुज्जीवित किया है। एएफडी तथा शक्ति की साझेदारी में सिडबी ने ग्रीन इंडियन फाइनैंशियल सिस्टम (जीआईएफएस) प्रयास आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारत की वित्तीय व्यवस्था को हरित बनाने के लिए इस प्रकार के विमर्श और चर्चा को सुगम बनाना है। जीआईज़ेड तथा वर्ल्ड बैंक कंट्री टीम के साथ चर्चाएँ जारी हैं। इनका उद्देश्य क्रमशः नगरपालिकाओं के ठोस अपशिष्ट तथा संपीड़ित बायो-गैस संबंधी जोखिम साझेदारी सुविधाओं की स्थापना करना है।

इस प्रकार की उच्च प्रभाव वाली जलवायु-परिवर्तन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण-निधीयन तथा अन्य सहायता के जरिये सिडबी नेतृत्वकारी भूमिका निभाना जारी रखेगा।

जोखिम प्रबंध

बैंक ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जिसमें ऋण जोखिम प्रबंध, बाज़ार जोखिम प्रबंध, परिचालन-जोखिम प्रबंध, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया, व्यवसाय सातत्य प्रबंध आदि शामिल हैं।

बैंक की ऋण-प्रदायगी तथा राजकोषीय परिचालनों और तुलनपत्र से इतर मदों से संबंधित जोखिमों की अनवरत निगरानी और मापन बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया जाता है।

नीतियाँ

- उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) नीति
- ऋण नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा नीति
- प्रतिभूति एवं संपार्श्विक प्रबंध नीति
- परिचालन जोखिम प्रबंध (ओआरएम) नीति
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध (बीसीएम) नीति
- आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) नीति
- निवेश नीति
- आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईकैप) नीति
- व्युत्पन्नियों के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश (आईसीजीडी)
- बाज़ार जोखिम प्रबंध नीति (एमआरएमपी)
- आदर्श मान्यता नीति

प्रणालियाँ

आईआरएमएस जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल (रैम), ओआरएमएस, आईकैप टूल शामिल हैं

रेटिंग मॉडल

जोखिम मूल्यांकन मॉडल (रैम), सिडबी मल्टीफंक्शनल अप्राइज़ल एंड रेटिंग टूल (स्मार्ट) और स्कोर कार्ड, बैंक्स एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट (बीएएलएम)

निधियों की निधि

निधियों की निधि के अंतर्गत सिडबी सेबी में पंजीकृत जोखिम निधियों/वैकल्पिक निवेश निधियों (केवल श्रेणी I व II) की समूह निधि में योगदान करता है। सहायता-प्राप्त उद्यम पूँजी निधियों/ वैकल्पिक निवेश निधियों से अपेक्षित है कि वे अपनी समूह निधि की एक विनिर्दिष्ट राशि योजना के अधिदेश के अनुसार एमएसएमई/स्टार्टअप में निवेश करें।

सिडबी संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार के लिए निधियों की निधि का संचालन करता रहा है, जैसे- स्टार्ट अप के लिए निधियों की निधि (डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का एक कार्यक्रम), ऐस्पायर निधि (एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार), और यूपी स्टार्टअप निधि (उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से)।

सक्रिय निधियों की निधि का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है -

सिडबी के अपने तुलनपत्र से सहायता/ विशिष्ट स्रोतों से निधियाँ

क्षेत्रीय/अखिल भारतीय जोखिम निधियाँ

उद्यम पूँजी के क्षेत्र में सिडबी शुरुआती खिलाड़ियों में से एक रहा है। निधियों की मदद करने का प्रयास 1995 में शुरू हुआ, जब सिडबी ने प्रारंभ में क्षेत्रीय उद्यम पूँजियों में और तत्पश्चात् (वित्तीय वर्ष 1997 के केन्द्रीय बजट की घोषणा के फलस्वरूप) अखिल भारतीय उद्यम निधियों में अंशदान करना शुरू किया।

एमएसएमई जोखिम पूँजी निधि (एमएसएमई-आरसीएफ)

सिडबी एमएसएमई-आरसीएफ भी संचालित कर रहा है। इसे वित्तीय वर्ष 2009 के बजट में की गयी घोषणा के फलस्वरूप शुरू किया गया था। इस निधि में पूर्ण प्रतिबद्धता हो चुकी है। सहायता-प्राप्त वीसीएफ/एआईएफ वर्तमान में बहिर्गमन/विनिवेश के चरण में हैं।

इंडिया ऐस्पिरेशन फंड (आईएएफ)

आईएएफ का शुभारंभ 18 अगस्त 2015 को माननीय वित्त मंत्री ने किया। इसकी कुल मंज़ूरियाँ ₹936 करोड़ की हैं। जैसाकि बताया गया, आईएएफ में से कोई नयी मंज़ूरियाँ नहीं की जा रही हैं। आईएएफ में सहायता-प्राप्त निधियाँ निवेश चरण में हैं और पहले की गयी वचनबद्धताओं को आवश्यकतानुसार जारी किया जा रहा है।

भारत सरकार/राज्य सरकारों की ओर से किए जा रहे निधियों की निधि परिचालन:

जैसाकि ऊपर बताया गया, वर्तमान में सिडबी द्वारा 3 निधियों के परिचालन प्रबंधक/ निधि प्रबंधक के रूप में नये निवेश किए जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:

उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए संचालित निधियों की निधि (एफएफएस)

स्टार्टअप इंडिया कार्य-योजना के एक हिस्से के रूप में जून 2016 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹10,000 करोड़ की समूह निधि वाली निधियों की निधि अनुमोदित की, जिसका संचालन सिडबी को करना था। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यथा 31 मार्च 2022 सिडबी ने ₹7,225.45 करोड़ की मंज़ूरियाँ तथा ₹2,492.24 करोड़ के संवितरण कर दिए हैं। डीपीआईआईटी की ओर से श्री अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने हाल ही में एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया, और उसकी रिपोर्ट मार्च 2021 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में योजना के परिचालनों/ निधि की विनियोजन प्रक्रिया तथा बहुगुणक प्रभाव पर यथेष्ट जानकारी दी गई है।

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की ऐस्पायर निधि

सिडबी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की ₹310 करोड़ की "ऐस्पायर निधि" का भी संचालन कर रहा है। यह कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों पर केन्द्रित है। इसका औपचारिक शुभारम्भ 20 अक्तूबर 2016 को माननीय एमएसएमई मंत्री ने किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी स्टार्टअप निधि

सिडबी उत्तर प्रदेश सरकार की ₹1,000 करोड़ की "यूपी स्टार्ट-अप निधि" भी संचालित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹20 करोड़ जारी किए थे, जिनकी वचनबद्धता कर ली गयी है।

अन्य प्रयास - प्रौद्योगिकीय पहलकदमियाँ

बैंक ने डीपीआईआईटी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के अंतिम चरण में पहुँचे सभी प्रतियोगियों के लिए ऑनलाइन पिचिंग कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है। ऐसी पहलकदमियों से स्टार्टअप्स को एआईएफ से मिलने-जुलने का मंच प्राप्त हुआ।

उद्यम पूँजी निधियों के परिचालनों के स्वचालन के लिए बैंक ने विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहलकदमियाँ आरंभ की हैं। अलग से एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके समूची आवेदन-प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। आवेदन-प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया के अलावा, एआईएफ द्वारा ड्राडाउन अनुरोधों के प्रस्तुतीकरण तथा बैंक के स्तर पर उसकी परवर्ती प्रक्रिया और पोर्टफोलियो प्रबंधन को भी ऑनलाइन बनाया गया। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीसीएफ संविभागों के वास्तविक समय डाटा प्रबंधन की सुविधा भी देता है।

कोविड-19 से प्रभावित स्टार्टअप्स को कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने कोविड-19 स्टार्टअप सहायता योजना (सीएसएएस) आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत 14 प्रस्तावों में कुल ₹21.68 करोड़ की सहायता मंजूर की गयी।

अन्य वित्त पोषण/ मिसिंग मिडल

उद्यम संवर्द्धन को सुगम बनाने और पिरामिड के निचले पायदान पर स्थित उधारकर्ताओं के लिए ऋण की लागत को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने प्रयास नामक योजना आरंभ की।

31 मार्च 2022 को परिचालनों की स्थिति

प्रयास योजना के अंतर्गत बैंक ने 13 साझेदार संस्थाओं (विनियमित सहित सूक्ष्मवित्त वित्तीय संस्थाएं=11; गैर-वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं=2) को सीमाएं मंजूर की हैं, जिनमें से 10 साझेदार संस्थाओं के साथ परिचालन जारी है, जबकि अन्य 3 साझेदार संस्थाओं को मंजूर की गई सीमा अब समाप्त हो चुकी है।

27,343 लाभार्थियों के संबंध में कुल ₹417.70 करोड़ की मंजूरी दी गयी जबकि 21,529 लाभार्थियों के संबंध में ₹342.25 करोड़ का संवितरण किया गया। प्रयास के अंतर्गत समस्त संवितरित प्रस्तावों में से लगभग 88% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान हुई प्रगति

एसएफएमसी वर्टिकल (एमएफआई और प्रयास) ने नयी दिल्ली में तीसरी राष्ट्रीय माइक्रोफाइनैंस कांग्रेस का आयोजन किया। यह कांग्रेस भारत के भीतर और बाहर के अग्रणी चिन्तकों, नीति-निर्माताओं, विनियामकों, बैंकरों, अकादमिशियनों, प्रैक्टिशनरों तथा विभिन्न अन्य हितधारकों को साथ लाकर विभिन्न मुद्दों पर उनकी चर्चा और बहस के ज़रिये देश में अल्प वित्त पारितंत्र की संवृद्धि और विकास पर केन्द्रित थी।

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। इस कांग्रेस में वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अधिकारियों, विविध एजेंसियों व अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उद्घाटन के एक हिस्से के रूप में माननीया वित्त मंत्री ने सिडबी स्वावलंबन चैलेंज फंड सिरीज़III-इन्क्रीज़िंग डिजिटल फुटप्रिंट का विमोचन किया। इसका उद्देश्य ऐसे नवोन्मेषी विचारों को मदद देना है, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की बाधाओं के समाधान तथा कम आय वाले समुदायों अथवा वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में वित्तीय क्षमता व स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के ज़रिये बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इस निधि का लक्ष्य ऐसे विचारों को आकर्षित करना है जिनमें कम लागत वाले डिजिटल मॉडलों की रचना के ज़रिये वित्तीय समावेशन की सुई को घुमाने की कोशिश हो और जो वित्तीय सेवाओं को अल्पसेवित घटकों के लिए 'पहुँच के भीतर', 'समझ आने योग्य', 'ग्राहक-अनुकूल', 'किफायती' तथा 'प्रासंगिक' बनाने वाले हों।

इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों जैसे भारत सरकार, विनियामकों, बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, स्व-नियामक संगठनों, गैरसरकारी संगठनों आदि के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर इसे सफल बनाया।

इस कार्यक्रम में सिडबी के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री ब्रज मोहन को अल्प वित्त क्षेत्र के लिए किए गए उनके योगदान के लिए प्रथम "वित्तीय समावेशन पुरस्कार" प्रदान किया गया।

वैचारिक नेतृत्व और संरचनागत प्रयास

बैंक ने सूचना की विषमता का समाधान करना और नीति-निर्माताओं को दिग्दर्शन सहायता देना जारी रखा।

इंडस्ट्री स्पॉटलाइट

यह सिडबी और क्रिफ हाइमार्क का संयुक्त प्रयास है, जो एमएसएमई पर संकेंद्रित है और मुख्य उद्योग-क्षेत्रों के तिमाही ऋण डाटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट में क्लस्टर के स्तर पर ऋण प्रवाह के विवरण दिए जाते हैं, जिसमें संबंधित उद्योग क्षेत्र के सुस्थापित और उभरते हुए क्लस्टरों का तुलनात्मक डाटा रहता है। यह रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में जारी होती है।

माइक्रोफाइनेंस पल्स

सिडबी और ईक्विफैक्स का यह प्रयास ईक्विफैक्स के डाटाबेस पर आधारित एक तिमाही रिपोर्ट होती है, जिसमें अल्प वित्त क्षेत्र की ऋण-प्रवृत्तियाँ तथा जानकारियाँ दी जाती हैं। इससे हितधारकों को डाटा-आधारित अंतर्दृष्टि मिलती है। यह रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा 12 स्वदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित होती है।

फिनटेक पल्स

यह सिडबी-ईक्विफैक्स का संयुक्त प्रयास है। इसमें भारत में फिनटेक-ऋणप्रदायगी की तिमाही रिपोर्ट दी जाती है, जो ऐसे नवयुगीन फिनटेक पर केन्द्रित रहती है, जो असेवित तथा अल्पसेवित वर्गों को समय पर पर्याप्त ऋण देकर अलग मिसाल प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में जारी होता है।

सूचना की विषमता के समाधान हेतु संरचनागत प्रयास

बैंक ऋण-ब्यूरो, रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के ज्ञान उत्पाद लाता रहा है। इनमें से कुछ ज्ञान उत्पाद अनेक भारतीय भाषाओं में भी जारी किए गए, ताकि वे व्यापक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच सकें।

एमएसएमई पल्स

यह सिडबी और ट्रांसयूनियन सिबिल का प्रयास है, जो सिबिल डाटाबेस में ऋण-सक्रिय 50 लाख एमएसएमई के आधार पर एमएसएमई के स्वास्थ्य की स्थिति दर्शाता है। इस रिपोर्ट के जरिए एमएसएमई द्वारा लिए गए ऋण का पता चलता है, जिससे संस्थागत ऋणदाताओं तथा हितधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एमएसएमई पल्स अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा 12 स्वदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित होता है।

क्रिसिडेक्स

यह सिडबी और क्रिसिल का संयुक्त ज्ञान उत्पाद है। इसमें तिमाही आधार पर लगभग 1,100 एमएसई का गुणात्मक सर्वेक्षण करके उसके आधार पर उनके भावनात्मक सूचकांक तथा अगली तिमाही में उनकी अपेक्षाओं का सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक एमएसई के ज़मीनी स्तर की प्रवृत्तियों को मापने के साथ-साथ हितधारकों को नीतिगत अंतर्दृष्टि भी देता है।

संग्राहक की भूमिका

स्टैंड-अप मित्र एवं उद्यमीमित्र पोर्टल (जुड़वाँ पोर्टल)

(www.udyamimitra.in , www.standupmitra.in)

सिडबी ने वित्तीय सेवाएँ विभाग की मदद से 2016 में स्टैंडअप इंडिया पोर्टल तथा उद्यमीमित्र पोर्टल विकसित किए और भारत सरकार का स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया। यथातिथि इस पोर्टल पर 400 से अधिक बैंक, गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और अल्प वित्त संस्थाएं पंजीकृत हैं और बैंकों/ गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों की 1.47 लाख से अधिक शाखाएं इससे जुड़ी हैं।

विगत 2 वर्षों में इस नवीकृत उद्यमीमित्र पोर्टल ने सिडबी को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की अनेक ऋण/ एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन को शक्य बनाया। ये डिजिटल परियोजनाएं ग्राहकानुरूप थी और इनमें संबंधित मंत्रालयों के विविध हितधारकों के वर्कफ्लो का समावेश था। साथ ही, सिडबी ने योजना-निर्माण की अपनी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराई। इस प्लग-एंड-प्ले मॉडल से इन योजनाओं को प्लेटफॉर्म से जोड़ने में बहुत ही कम समय लगा और साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय दक्षता भी आई।

इस प्रकार के क्रियान्वयन के ज़रिये सिडबी ने हर मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम के लिए पृथक पहचान वाले पोर्टल बनाए, जिससे उन्हें अपेक्षित ब्रांड पहचान और अपने-अपने पारितंत्र से जुड़ने में मदद मिली तथा वे बिना किसी बाधा के उद्यमीमित्र से एकीकृत हो पाए। इसके फलस्वरूप उद्यमीमित्र प्लैटफॉर्म सिडबी के लिए एक सशक्त साधन बन गया। विभिन्न कार्यक्रमों के जो पोर्टल इससे जुड़े हैं वे निम्नवत हैं:

कार्यक्रम का नाम	मंत्रालय का नाम	कार्यक्रम का पोर्टल
स्टैंड-अप इंडिया	वित्तीय सेवाएं विभाग- वित्त मंत्रालय	https://portal.standupmitra.in/
नैशनल लाइवस्टॉक मिशन	पशुपालन एवं डेयरी विभाग- मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	https://nlm.udyamimitra.in/
ऐनिमल हस्बैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	पशुपालन एवं डेयरी विभाग- मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	https://ahidf.udyamimitra.in/
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम फॉर फार्मा	औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	https://pli-pharma.udyamimitra.in/
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशन्स	दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	https://pli-telecom.udyamimitra.in/
पीएम स्वनिधि	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	www.pmsvanidhi.mohua.gov.in

सुगमकार की भूमिका

पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने कोविड-प्रवर्तित तालाबंदी के बाद शहरी पटरी विक्रेताओं के लिए किफायती कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त करना सुगम बनाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना आरंभ की।

सिडबी ने योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 02 जुलाई, 2020 को एक पोर्टल का शुभारंभ किया।

सिडबी ने ऋणदात्री संस्थाओं (एलआई), यूएलबी, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के लिए पोर्टल पर कई कार्य-क्षमताएँ, प्रक्रियाएँ और सुविधाएँ आशोधित और विकसित की हैं, जिसमें मोबाइल ऐप शामिल है। ऋण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण ने, बड़ी संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त करने और संसाधित करने में ऋणदात्री संस्थाओं की मदद की, जिससे योजना लागू करने में अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इससे पटरी विक्रेता, जो बड़े पैमाने पर बैंकिंग ऋण सुविधाओं से दूर थे, उन्हें औपचारिक ऋण दायरे में लाने और उनमें बैंकिंग की आदत विकसित करने में मदद मिली।

31 मार्च, 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण की स्थिति नीचे दी गई है :

ऋण का स्वरूप	पात्र आवेदन	मंजूरियाँ	संवितरित ऋण	संवितरित राशि
	(लाख में)	(लाख में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये)
पहला ऋण	42.10	33.36	29.27	2,902.80
दूसरा ऋण	3.03	2.00	1.70	338.50

अब तक 11.1 लाख डिजिटल रूप से सक्रिय पटरी विक्रेताओं ने 17.5 करोड़ डिजिटल लेनदेन किए हैं। 10.59 लाख पटरी विक्रेताओं को 10.58 करोड़ रुपये की कैशबैक सब्सिडी जारी की गई है। इसने उनकी डिजिटल साक्षरता बढ़ाई और पटरी विक्रेताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में भी सक्षम बनाया।

ऋणदाताओं द्वारा ली जाने वाली ब्याजदरों का बोझ कम करने के लिए, पटरी विक्रेताओं के खातों में सीधे 51.78 करोड़ रुपये ब्याज सब्सिडी के रूप में जारी किए गए।

इस योजना के कार्यान्वयन को भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर भली-भाँति स्वीकार्यता प्राप्त हुई है और इसके लिए सिडबी को प्रशंसा मिली है।

01 मुद्रा - शिशु ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना

- सिडबी मुद्रा की विभिन्न सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के नोडल कार्यालयों के माध्यम से ब्याज सहायता के वितरण के प्रयोजन से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
- अब तक, सिडबी को डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से 775 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से सिडबी ने आज की तिथि तक 104 एमएलआई से प्राप्त 661.43 करोड़ रुपये के कुल दावों का निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा शिशु ऋण के अंतर्गत अब तक लगभग 3.20 करोड़ शिशु लाभार्थियों ने ब्याज सहायता योजना का लाभ उठाया है।

02 भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को (ए) उच्च रेटिंग वाली समूहित आस्तियों और (बी) एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के बॉन्ड / सीपी खरीदने के लिए विस्तारित आंशिक ऋण गारंटी योजना (जिसे पीसीजीएस 2.0 के रूप में भी जाना जाता है) का लाभ प्रदान करती है।

- अन्य प्रकार से सुसक्षम एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई की अस्थायी चलनिधि/नकदी प्रवाह की कमियों का समाधान करना।
- सिडबी ने प्रस्तावों के मूल्यांकन, लेनदेन का रिकॉर्ड रखने, गारंटी हेडरूम का निर्धारण करने, दावों की जाँच करने एवं जिन खातों के लिए गारंटी लागू की गई, उनमें वसूलियों की निगरानी करने का काम आरंभ किया।
- समूहित आस्तियों के अंतर्गत सिडबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खरीदे गए 11,769.58 करोड़ रुपये के 60 प्रस्तावों की अनुशंसा डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार को की थी। 1,176.67 करोड़ रुपये की गारंटी निष्पादित की गई।
- पीएसबी ने संविभाग (पोर्टफोलियो) गारंटी के अंतर्गत 22,217 करोड़ रुपये के बॉन्ड/सीपी खरीदे थे। सभी प्रस्तावों के संबंध में गारंटी निष्पादित की गई।
- अब तक पाँच पीएसबी से प्राप्त 169.70 करोड़ रुपये के गारंटी दावे विचारार्थ डीएफएस को भेजे गए हैं।

03 ब्याज सहायता योजना - आयुष मंत्रालय

- आयुष मंत्रालय (एमओए), भारत सरकार ने देश में 155 स्थानों पर आयुष सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/डे केयर केंद्र स्थापित करने वाली ग्रीनफील्ड इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा मंजूर ऋणों के प्रति ब्याज सहायता प्रदान करके "चैंपियन सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत आयुष सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल / डे केयर सेंटर की स्थापना" नामक नई पहल आरंभ की।
- यह मॉडल निजी निवेशकों और इकाइयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए अवरोही क्रम में अपनाया जाएगा, जबकि प्रत्येक निजी निवेशक और इकाई की अधिकतम सहायता 8.15 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
- सिडबी को इस योजना के लिए एकमात्र राष्ट्र-स्तरीय नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा सिडबी के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

04 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

- दूरसंचार विभाग ने 12,195 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वृद्धिशील निवेश और टर्नओवर को प्रोत्साहित करते हुए, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की।
- योजना के अंतर्गत सहायता पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, अर्थात् वित्तवर्ष 2021-22 से वित्तवर्ष 2025-26 तक।
- सिडबी इस योजना के लिए परियोजना प्रबंध एजेंसी (पीएमए) है।

05 फार्मास्यूटिकल इकाइयों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

- फार्मास्यूटिकल इकाइयों के लिए पीएलआई योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और फार्मास्यूटिकल विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) ने इसे भारत से बाहर वैश्विक चैंपियन तैयार करने के लिए आरंभ किया है।
- सिडबी इस योजना के लिए परियोजना प्रबंध एजेंसी (पीएमए) है।
- 15,000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय के साथ, इस योजना के अंतर्गत 278 आवेदन प्राप्त हुए।
- इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए 20 एमएसएमई सहित 55 आवेदकों का चयन किया गया।

06 पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)

- डेयरी प्रसंस्करण एवं तत्संबंधी मूल्य संवर्द्धन संबंधी बुनियादी ढाँचे, माँस प्रसंस्करण एवं तत्संबंधी मूल्य संवर्द्धन संबंधी बुनियादी ढाँचे और पशु आहार संयंत्रों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष।
- बैंक इस योजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार है तथा इसने पशुपालन और डेयरी विभाग, एमओएफएएचडी, भारत सरकार के साथ सहयोग स्थापित किया है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल 2,400 आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुसूचित बैंकों द्वारा 2,500.00 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई और मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 3,182 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता अनुमोदित की थी।

07 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)

- इस योजना का प्रबंध पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने, बेहतर निगरानी करने, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा कराने, पारदर्शी तरीके से आवेदनों पर कार्रवाई करने (प्रोसेसिंग) और आवेदनपत्रों पर समयतः अनुकूलित कार्यप्रवाह के लिए, डीएएचडी ने सिडबी को योजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में नियुक्त किया था।
- डीएएचडी ने सब्सिडी के प्रबंध के लिए सिडबी को निधि वितरण (फंड चैनेलाइज़िंग) एजेंसी के रूप में भी नामित किया था।
- सिडबी ने ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने और आवेदकों द्वारा सीधे पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराए जाने के लिए उद्यममित्र पोर्टल पर एक अनुकूलित कार्यप्रवाह तैयार किया।
- 7,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय द्वारा 19.00 करोड़ रुपये की पूँजीगत सब्सिडी अनुमोदित की गई है।

08 सिडबी भारत सरकार की योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में

- बैंक को विभिन्न सरकारी सब्सिडी योजनाओं जैसे ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), विशेष ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस), कपड़ा उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत चमड़ा क्षेत्र योजना (आईडीएलएसएस), प्रौद्योगिकी उन्नयन / स्थापना / आधुनिकीकरण / खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार (एफपीटीयूएफएस) और प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन (टीईक्यू) योजना लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी की भूमिका सौंपी गई है। संचयी रूप से सिडबी ने 54,721 एमएसएमई को 4,453.80 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी कराई।

09 विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस)

- अनुसूचित जाति/जनजाति के एमएसई को एससीएलसीएसएस दिशानिर्देशों के अंतर्गत 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इसे एनएसआईसी के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) से जारी किया जाएगा। इस योजना के शुभारंभ के बाद से सिडबी के माध्यम से 369 इकाइयों को कुल 45.06 करोड़ रुपये के पूंजीगत सब्सिडी दावे जारी किए गए हैं। वित्तवर्ष 2022 के दौरान, 158 इकाइयों के लिए कुल 20.41 करोड़ रुपये के दावे जारी किए गए हैं। यह योजना मंजूरी की तारीख से 31/03/2026 तक लागू है। वित्तवर्ष 2021-22 से वित्तवर्ष 2025-26 की अवधि के लिए एनएसएसएच का कुल योजना परिव्यय 438 करोड़ रुपये होगा।

10 तुलनपत्र और लेखा विवरण

- वित्तवर्ष 2021-22 के लिए बैंक के लेखा की लेखापरीक्षा मेसर्स बोरकर एंड मुजूमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई द्वारा की गई, जिन्हें 09 अक्टूबर, 2020 को निदेशक मंडल ने सिडबी अधिनियम 1989 (यथासंशोधित) की धारा 30 (1) की शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए, इस नियुक्ति को 02 जुलाई, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने अधिकृत किया था।
- लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें वार्षिक प्रतिवेदन के भाग-II में दी गई हैं।
- वित्तवर्ष 2021-22 के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण के साथ लेखापरीक्षित तुलनपत्र **परिशिष्ट - I** में दिया गया है। सिडबी की सहायक कंपनियों अर्थात सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल), सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) और सहयोगी कंपनियों, अर्थात् एक्यूइटे रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी), रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) और अन्य के साथ सिडबी के लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण के साथ समेकित तुलनपत्र **परिशिष्ट - II** में दिया गया है।

सिडबी द्वारा जारी ऋण लिखतों की रेटिंग

सिडबी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण लिखतों को केयर एज रेटिंग्स, इक्रा लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और क्रिसिल रेटिंग द्वारा रेट किया गया है।

वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान

केयर लिमिटेड ने निम्नलिखित रेटिंग की पुष्टि की है:

- केयर एएए; स्थिर - ट्रिपल ए; आउटलुक: स्थिर [1,50,000 करोड़ रुपये की एमएसई/ आरआईडीएफ जमाराशियों और 21,861.50 करोड़ रुपये के अप्रतिभूत बॉन्ड के लिए]।
- केयर एएए (एफडी); स्थिर - ट्रिपल ए; सावधि जमा; आउटलुक: स्थिर [10,000 करोड़ रुपये की सावधि जमा के लिए]।
- केयर एएए; स्थिर - ट्रिपल ए; आउटलुक: स्थिर] / केयर ए1+ [ए वन प्लस] [46,000 करोड़ रुपये के जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम के लिए]।
- केयर एएए / केयर ए1+; स्थिर - ट्रिपल ए / आउटलुक: स्थिर [30,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण (दीर्घावधि / अल्पावधि) के लिए]

इक्रा लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपये के अप्रतिभूत बॉन्ड निर्गम कार्यक्रम के लिए इक्रा एएए/स्थिर रेटिंग की पुष्टि की है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 21,600 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम के लिए आईएनडी ए1+ की रेटिंग की पुष्टि की।

अध्याय 3 संवर्धनशील और विकासात्मक पहल

सिडबी विजन 2.0 समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख जुड़ाव पर जोर देता है। पी एंड डी के तहत सभी पहल मिशन स्वावलंबन के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं, जो उद्यमिता संस्कृति को प्रेरित करने और विभिन्न आजीविका और उद्यमिता कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एक सर्वसमावेशी ढांचा है। मिशन स्वावलंबन में 4 विशिष्ट स्तंभ हैं अर्थात् संपर्क, संवाद, सुरक्षा और सम्प्रेषण (4 एस)।

क – संपर्क: एमएसएमई और उद्यमियों के साथ "कनेक्ट" को दर्शाता है

ख – संवाद: एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए "संवाद" को दर्शाता है

ग – सुरक्षा: एमएसएमई के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए

घ – सम्प्रेषण: नीति निर्माताओं और एमएसएमई उद्यमियों के साथ रचनात्मक जुड़ाव

पांच मार्गदर्शक विषयों के तहत संवर्द्धनशील विकासात्मक उद्यम के हस्तक्षेप निम्नवत हैं :

क संपर्क

स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र (एससीके)

- स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र यूपी, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और ओडिशा के 100 जिलों में इच्छुक उद्यमियों का मार्गदर्शन करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए परामर्श केंद्रों के रूप में काम करते हैं।
- लगभग 46,000 उम्मीदवारों तक इसकी पहुंच है और 5,000+ लोगों का पथप्रदर्शन किया गया। इस पहल के तहत 2,000+ उद्यमों की स्थापना / स्केल-अप और 1,200 को ऋण से जोड़ा गया।

ई-उद्यम संज्ञान

- कोविड प्रतिबंधों के कारण उद्यम संज्ञान (एक्सपोज़र विज़िट) का डिजिटल मॉडल वित्त वर्ष 2021 में ई-उद्यम संज्ञान के रूप में लॉन्च किया गया था, जो ट्रेड्स, जीईएम आदि के नए युग के डिजिटल प्लेटफार्मों से संबंधित विषयों को कवर करने पर एमएसई के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला के रूप में था।
- डोमेन ज्ञान और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मध्यम और बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा सत्र लिए गए।
- वित्त वर्ष 2022 में संपन्न हुए 10 कार्यक्रमों से 300 से अधिक एमएसई लाभान्वित हुए।

उद्यम ज्ञानशाला

- सिडबी ने एमएसई को अपस्किलिंग के लिए 'विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रबंधन की आधुनिक तकनीक' पर उद्यम ज्ञानशाला और 'अनिश्चित समय के दौरान व्यापार को लचीला और टिकाऊ बनाना - विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले एमएसएमई संगठनों के लिए एक टूलकिट दृष्टिकोण' पर उद्यम ज्ञानशाला नामक दो ज्ञानशालाओं का आयोजन किया।
- ये ज्ञानशालाएं प्रबंधन/तकनीकी क्षमता विकास कार्यक्रम हैं और इससे 20 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हुए हैं।

आजीविका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

- बैंक ने कारीगरों के बीच डिजिटल साक्षरता पैदा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधे संगठनों / अंतिम उपयोगकर्ताओं को अपने उत्पादों की ऑनबोर्डिंग / बिक्री के लिए हैंडहोल्डिंग के माध्यम से कारीगरों की क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया।
- हस्तक्षेप से समुदाय में कारीगरों की बिक्री और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाता है और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान की वकालत भी की जाती है।
- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और केरल राज्यों में 3,300 कारीगरों/आजीविका उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए 7 एनजीओ भागीदारों को अनुदान सहायता की मंजूरी दी गई।

ख संवाद

स्वावलंबन कौशल उन्नयन कार्यक्रम:

- सिडबी ने 21 स्वावलंबन कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जो उद्यमिता और कौशल विकास पर केन्द्रित थे, इसमें 700+ प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण किया गया।
- कार्यक्रम में ब्यूटीशियन, सॉफ्ट टॉयज बनाने, बुनाई, जूट उत्पाद निर्माण, एलईडी बल्ब का संयोजन आदि जैसी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां शामिल थीं।

सेमिनार और कार्यशालाएं :

- सिडबी ने अखिल भारतीय स्तर पर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 13 सेमिनारों और कार्यशालाओं का समर्थन किया, जिससे 6,300 एमएसई लाभान्वित हुए।

सूक्ष्म उद्यम संवर्धन कार्यक्रम (एमईपीपी)

- कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक सेवाओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर व्यवहार्य एमएसई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल।
- पूरे भारत में 4 एमईपीपी चल रहे हैं।
- वित्त वर्ष 2022 में, 3,065 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने के लिए 84 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 611 नए उद्यमों की स्थापना हुई है, जिससे 3,831 रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

आकांक्षी स्वावलंबियों के दोहन के लिए सिडबी सहायता (साहस)

- इसका उद्देश्य उद्यमिता के लिए समर्थन देना और चयनित स्टार्टअप को अनुदान सहायता सहित एमएसएमई क्षेत्र के कठिनाइयों को दूर करने के लिए समाधान देना है।
- गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, त्रिशूर परिसर में एमएसएमई समाधान के लिए पहली स्वावलंबन चेयर स्थापित करने के लिए सहायता दी गई।
- वित्त वर्ष 2022 में, उद्यमिता विकास और अग्रिम कौशल विकास पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, 2 हैकाथॉन आयोजित किए गए थे। दूसरा स्वावलंबन चेयर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है।

ग सुरक्षा

अक्षय पात्र फाउंडेशन

- 4 शहरों (दिल्ली/एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद और ठाणे) में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों, कोविड-19 रोगियों सहित झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले समुदायों और उनके तीमारदारों जैसे आबादी के वंचित वर्ग के बीच वितरित किए जाने वाले 1,10,000 लोगों के भोजन की लागत के लिए सहायता प्रदान की गई।

स्वावलंबन चैलेंज फंड

- बैंक ने हरित पहल, टिकाऊ आजीविका, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने के काम में संलग्न विकास संगठनों / शैक्षणिक संस्थानों / स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वावलंबन चैलेंज फंड की शुरुआत की।
- वित्त वर्ष 2022 में, स्वावलंबन चैलेंज फंड की विंडो I के तहत 12 संगठनों को पुरस्कृत किया गया था। विंडो II भी लॉन्च किया गया और इसके तहत 415 आवेदन प्राप्त हुए।

महिला उद्यमिता - आजीविका संवर्धन और विकास (डब्ल्यूई-लीड)

- इस परियोजना का उद्देश्य ओडिशा में क्षमता निर्माण-ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण एवं व्यवसाय विकास सेवाओं के माध्यम से एसएचजी/जेएलजी सदस्यों में से 12,000 महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
- ओडिशा स्टेट एसोसिएशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंस्टीट्यूशन (ओएसएएफआईआई) के माध्यम से 15,000 महिला एसएचजी/जेएलजी सदस्यों का वित्तीय समावेशन कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्वावलंबन सिलाई गृह उद्यमी कार्यक्रम

- सिलाई, बुनियादी डिजाइनिंग, कढ़ाई, मशीन मरम्मत और जीवन कौशल पर 9 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण / असेवित / पिछड़े / आपदा प्रवण / आकांक्षी जिलों में महिला उद्यमिता और आर्थिक सक्षमता / सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उषा सोशल सर्विसेज के माध्यम से उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की गई।
- 31 मार्च, 2022 तक 17 राज्यों के 2,545 गांवों, 191 ब्लॉकों और 48 जिलों को कवर करते हुए कुल 2,625 उषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल स्थापित किए गए।
- इन गृह उद्यमियों ने जॉब-वर्क, सनेर पीस और मशीन रिपेयरिंग के माध्यम से संचयी रूप से लगभग 9.80 करोड़ रुपये कमाए। इन गृह उद्यमियों ने 25,000+ शिक्षार्थियों को नामांकित किया अर्थात, उनके तहत प्रति प्रत्यक्ष लाभार्थी औसतन 10 इस प्रकार एक गुणक प्रभाव पैदा हुआ।

स्वावलंबन बाजार +

- सूक्ष्म उद्यमियों/कारीगरों को उनके क्षितिज को विस्तृत करके और बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार अपने उत्पादों को संरेखित करके सशक्त बनाना।
- कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 8 स्वावलंबन बाजार + कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 340+ कारीगरों / सूक्ष्म उद्यमियों ने क्रेडिट, डिजाइन (डिजाइन संस्थानों में छात्रों के साथ जुड़ना), बाजार कनेक्ट के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों पर वित्तीय साक्षरता से लाभान्वित किया था।
- वित्त वर्ष 2019 से संचयी रूप से, 19 स्वावलंबन बाजार प्लस कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 940+ सूक्ष्म उद्यमी और स्थानीय कारीगर लाभान्वित हुए।

वित्तीय साक्षरता, गांवों का अंगीकरण और ऋण और बाजार लिंकेज के लिए स्वावलंबन सहायता

- बिहार और झारखंड राज्यों में 120 गांवों का अंगीकरण और 2,400 आजीविका उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों (एलई / एमई) को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके क्रेडिट और मार्केट लिंकेज सुनिश्चित करना।
- वित्त वर्ष 2022 में, 121 गांवों का अंगीकरण किया गया, 2,409 महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया गया, और 1,965 प्रतिभागियों का क्रेडिट लिंकेज पूरा किया गया।
- 15,000 एलई/एमई की सहायता के लिए 10 राज्यों में 700 गांवों को गोद लेने के लिए परियोजना का विस्तार किया गया था।

एसडब्ल्यूएएस - श्वास उद्यमी ऊर्जा

- बैंक ने कोविड-19 के दोहरे प्रभावों और चक्रवात अम्फान के विनाशकारी प्रभाव के बाद सुंदरबन में घरेलू कामगारों या मजदूरों के रूप में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष पहल किया था।
- 'सुंदरबन में स्वावलंबन एक्सेलेरेटर (एसडब्ल्यूएएस/@एस - श्वास उद्यमी ऊर्जा)' कार्यक्रम का उद्देश्य 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत को वास्तविकता में बनाना है।
- परियोजना का उद्देश्य 20,000+ लाभार्थियों को संवेदनशील बनाना, 1,000 चयन किए गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना और स्टार्ट-अप किट के साथ उनका समर्थन करना है, ताकि उन्हें अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके, जबकि मुक्ति फ्रेश, सुंदरबन डेवलपमेंट फेयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-मार्केटप्लेस, स्थानीय विक्रेताओं और बाजारों आदि जैसे संभावित खरीदारों या बाजारों के साथ बाजार लिंकेज भी प्रदान किया जा सके।
- 31 मार्च, 2022 तक, 657 महिलाओं को हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण में कई बैचों में प्रशिक्षित किया गया था और 53 नए उद्यम स्थापित किए गए थे।

घ सम्प्रेषण

परियोजना प्रबंधन इकाई:

एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों के माध्यम से अच्छी प्रथाओं को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से, पीएमयू की स्थापना की गई और राज्यों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के लिए कुल 16 राज्यों (वित्त वर्ष 2021 में स्थापित 11 सहित) में परिचालनरत है।

पीएमयू द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख सहायता इस प्रकार है:

- नीति विकास - नई एमएसएमई नीतियां तैयार करना जैसे राजस्थान के लिए एमएसएमई नीति 2022, गुजरात में 14 करोड़ रुपये के बजट के साथ एमएसएमई मिनी क्लस्टर विकास योजना आदि का संचालन।
- एमएसएमई के लिए राज्य स्तरीय क्रेडिट गारंटी फंड - तमिलनाडु सरकार ने सीजीटीएमएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 100 करोड़ रुपये की राज्य गारंटी निर्धारित की गई थी, जिससे 400 से अधिक एमएसएमई के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सीजीटीएमएसई के समान समर्पित असम राज्य ऋण गारंटी योजना (100 करोड़ रुपये) के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

आजीविका और सूक्ष्म उद्यम विकास पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) को तकनीकी सहायता सहायता

- बिहार में इस परियोजना का उद्देश्य बैंक सखी के सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार करने, व्यापार नियोजन और विपणन पर उद्यमियों और उत्पादक समूहों की क्षमता निर्माण में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना है।
- झारखंड परियोजना का उद्देश्य राज्य में 1,200 अतिरिक्त बैंक सखियों को जोड़ना और उनके औसत मासिक डिजिटल लेनदेन को 5-7 लाख रुपये तक बढ़ाना है।
- असम में, इसका उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण और विपणन सहायता के साथ-साथ 1,000 बैंक सखियों को ऑन-बोर्ड करना और डिजिटल पहुंच बढ़ाना है।

स्वावलंबन आजीविका संवर्धन और जागरूकता कार्यक्रम (एसईएपी)

- एक प्रायोगिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लेह में युवाओं की क्षमता का निर्माण करना है, जो एक ओम शांति सी बकथॉर्न का उपयोग करके युवाओं को सशक्त बनाकर उनके अपने उद्यमों को स्थापित करने में उनका समर्थन करता है -
- एड ईटी एक्शन के माध्यम से समर्थित - लेह (लद्दाख) में भारत में एक इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना के माध्यम से समुद्री बकथॉर्न के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास शामिल है।
- परियोजना के अंत तक कम से कम 15 समूह उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है।

सिडबी सेंटर फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल इनक्लूजन/ एससीआईएफआई

- क्षमता निर्माण उपायों के माध्यम से और प्रौद्योगिकी (फिनटेक) द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय समावेशन पर काम करने वाले स्टार्टअप को पोषित करके भारतीय युवाओं की उद्यमशीलता क्षमता को समर्थ करना है।
- इनक्यूबेशन केंद्र आवश्यक परामर्श सहायता और परिचालन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके स्टार्टअप के विचारों को वास्तविकता में बदल देता है।
- 31 मार्च, 2022 तक, एससीआईएफआई 24 स्टार्टअप को इनक्यूबेट कर रहा है, और 12 शुरुआत वाले स्टार्टअप को प्री-इनक्यूबेट कर रहा है।

सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रभाव

सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल)

- सिडबी की उद्यम पूंजी शाखा, वर्तमान में आठ फंडों के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करती है जैसे नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड (आईओएफ), समृद्धि फंड (एसएफ), टेक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबीएफ), महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड (एमएसएफ) जो पूरी तरह से निवेश किए गए हैं और उभरते सितारे फंड (यूएसएफ) जो वर्तमान में निवेश चरण में है।
- 31 मार्च, 2022 तक, फंड का कुल शुद्ध बकाया कॉर्पस ₹676.82 करोड़ है।

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

एसटीसीएल की स्थापना 1999 में सामान्य रूप से और वीसीएफ/एआईएफ के लिए ट्रस्टीशिप कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। एसटीसीएल वर्तमान में नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी), एसएमई ग्रोथ फंड (एसजीएफ), इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड (आईओएफ), समृद्धि फंड (एसएफ), टेक्स फंड (टीएफ), पश्चिम बंगाल एमएसएमई वीसी फंड (डब्ल्यूबी फंड), महाराष्ट्र स्टेट सोशल वेंचर फंड (एमएस फंड), उभरते सितारे फंड (यूएसएफ), असम स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (एएसवीसीएफ), आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप वेंचर फंड (एएसवीएफ) और त्रिपुरा स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड (टीएसवीसीएफ)के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर करती है।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

मुद्रा की स्थापना 8 अप्रैल, 2015 को बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी, जो वित्त वंचितों को वित्त पोषण के एजेंडे पर काम कर रही है। मुद्रा ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान 12,312 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 15,623 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। वित्त वर्ष 2022 के लिए संवितरण 14,989 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2021 के लिए यह 12,303 करोड़ रुपये था।

मुद्रा - एक नजर में वित्तीय उपलब्धियां

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2022
बकाया संविभाग	13,627	20,039
प्रदत्त पूंजी	1,676	1,676
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	839	1,045
कुल आय	1,005	1,019
निवल लाभ	245	233
मानक आस्ति	99.44%	99.59%

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

भारत सरकार की ओर से मुद्रा द्वारा एक पोर्टल विकसित है जिसमें पीएमवाईवाई की प्रगति की निगरानी की जाती है, जिसमें साप्ताहिक आधार पर कुल डेटा एकत्र किया जाता है।

मुद्रा ऋण के तहत उधार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान करके सूक्ष्म उद्यमों के वित्त रहित खंडों पर केंद्रित है ताकि वे देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें:

- 50,000 रुपये तक का ऋण (शिशु)
- 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण (किशोर)
- 5,00,000 रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण (तरुण)
- वित्त वर्ष 2021-22 में सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 3.06 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 5.37 करोड़ खातों में 3.39 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- स्थापना के बाद से, संचयी रूप से, 31 मार्च, 2022 तक, पीएमएमवाई के तहत 34.55 करोड़ खातों में 18.73 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं, इस प्रकार संचयी संवितरण 18.21 लाख करोड़ रुपये है।

सहयोगी संस्थाएं

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वर्ष 2000 में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दी गई 2 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधाओं के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) का प्रचालन करता है जो संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय-पक्ष गारंटी द्वारा समर्थित/आंशिक रूप से समर्थित नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, 51% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹57,920 करोड़ की गारंटी को मंजूरी दी गई थी।

- गारंटी योजना ने 31 मार्च, 2022 तक 3.14 लाख करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए 58.59 लाख एमएसई ऋण खाते बनाने में संचयी रूप से मदद की है।
- सीजीटीएमएसई द्वारा समर्थित इकाइयों ने 155 लाख रोजगार सृजित किए हैं। इस योजना से लगभग 14 प्रतिशत महिला उद्यमी लाभान्वित हुई। सीजीटीएमएसई द्वारा समर्थित इकाइयों ने निर्यात के लिए ₹24,033 करोड़ का योगदान दिया है।
- कोविड चुनौतियों का सामना करने के लिए, सीजीटीएमएसई ने 2 विशेष योजनाएं अर्थात पीएमस्वनिधि के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस-पीएमएस) और अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की है। सीजीएसएसडी और सीजीएस-पीएमएस दोनों योजनाएं एमएसएमई क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुनरुत्थान के लिए संलग्न हैं।

वित्त वर्ष 2022 में सीजीटीएमएसई का समग्र प्रदर्शन निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वि व 2021		वि व 2022	
	₹ करोड़	संख्या	₹ करोड़	संख्या
कुल मंजूर गारंटियां	38,389	22,83,331	57,920	23,02,868
बैंक				
सामान्य सीजीएस I	19,429	3,36,612	28,083	2,78,833
खुदरा	7,712	2,40,244	11,214	2,43,002
हाइब्रिड संपार्श्विक	1,572	5,687	3,165	8,973
एनबीएफसी	8,186	2,53,049	13,709	1,86,212
पीएमस्वनिधि	1,435	14,47,266	1,717	15,85,550
अधीनस्थ ऋण के लिये गारंटी	55	473	32	298

वित्त वर्ष 2022 के दौरान महत्वपूर्ण पहलकदमियां :

- संचालन में आसानी के लिए सीजीटीएमएसई के तहत कवरेज के लिए बल्क अपलोड सुविधा 1 करोड़ रुपये तक शुरू की गई।
- शिक्षण संस्थानों और थोक व्यापारियों को दिए जाने वाले ऋण को पात्र गतिविधियों के दायरे में लाया गया।
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार के लिए गारंटी, राज्य विशिष्ट गारंटी के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग आदि जैसी नई योजनाएं शुरू करना।
- ऋण की अवधि के दौरान कभी भी गारंटी आवेदन दर्ज करने की अनुमति।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित सह-उधार मॉडल के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के उधारकर्ताओं को संयुक्त रूप से पात्र बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। इसमें एमएसई क्षेत्र के तहत पात्र उधारकर्ताओं को उधार देने वाली संस्थाओं की जोड़ी द्वारा सह-ऋण व्यवस्था के तहत स्वीकृत पात्र ऋण शामिल होंगे।

रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया

- आरएक्सआईएल की स्थापना 2016 में हुई थी और यह सिडबी-एनएसई का संयुक्त उद्यम है जो एमएसएमई ऑनलाइन ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म (टीआरईडीएस) का संचालन करता है।
- आरएक्सआईएल ने 31 मार्च, 2022 तक 10,672 एमएसएमई विक्रेताओं, 764 खरीदारों (107 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित) और 50 वित्तपोषकों (20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित) को पंजीकृत किया है। 31 मार्च, 2022 तक आरएक्सआईएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13,62,327 से अधिक चालानों के वित्तपोषण के साथ प्लेटफॉर्म पर संचयी फैक्टरिंग 23,735 करोड़ रुपये की रही।

एक्यूइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूइटे) (पूर्ववर्ती स्मेरा)

- एक्यूइटे ने बॉन्ड और बैंक ऋण रेटिंग व्यवसाय शुरू करने के 9 वर्षों की अवधि में भारत में फैले उद्योगों के निकायों की विभिन्न प्रतिभूतियों, ऋण साधनों और बैंक सुविधाओं को 9,000 से अधिक क्रेडिट रेटिंग (31 मार्च, 2022 तक) सौंपी है।
- एसएमईआरए रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (स्मेरा) - एमएसएमई रेटिंग्स और एमएफआई ग्रेडिंग में विशेषज्ञता रखने वाले एक्यूइटे की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने वर्ष के दौरान 2,622 रेटिंग और ग्रेडिंग असाइनमेंट किए। इसने 48.59% पीबीटी मार्जिन हासिल किया और खुद को एक आत्मनिर्भर संस्था के रूप में स्थापित किया।

इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) (2005)

- यह सिडबी का प्रौद्योगिकी सेवा उद्यम और एनएसआईसी के साथ एक सूचीबद्ध निरीक्षण एजेंसी है। आईएसटीएसएल एमएसएमई इकाइयों के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा सेवा और भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों को उनके भवनों में रूफटॉप सौर पीवी प्रणालियों की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। आईएसटीएसएल का परिसमापन प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड

- सिडबी के नेतृत्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम में फिनटेक ने धावा बोला है।
- 02 नवंबर, 2018 को पीएसबी लोन्स इन 59 मिनिट्स के शुभारंभ के बाद से, 5.01 लाख एमएसएमई को ऋणों की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, जिनमें से 3.64 लाख एमएसएमई को प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं की अंतिम मंजूरी मिल गई है।

अध्याय 4 नैगम अभिशासन रिपोर्ट और प्रबंधन

1 नैगम अभिशासन के संबंध में बैंक का दर्शन

बैंक ने सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हुए निष्पक्षता, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना-प्रसार के सिद्धांत को सुनिश्चित कर नैगम अभिशासन की सर्वोत्तम प्रक्रियों को अपनाया है और उनका अनुपालन किया है। उत्तम अभिशासन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्रभावी प्रबंधन और उच्च स्तर की कॉर्पोरेट नैतिकता संभव हुई है और इसने सभी हितधारकों के लिए मूल्यवर्धन भी किया है

2 निदेशक मंडल

सिडबी की स्थापना सिडबी अधिनियम, 1989 (संसद का एक अधिनियम) के अंतर्गत हुई है। यह सिडबी अधिनियम, 1989 तथा सिडबी विनियम, 2000 से शासित होता है। इस प्रकार, सिडबी अधिनियम के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 पर अभिभावी हैं, क्योंकि सिडबी एक विशिष्ट अधिनियम (सिडबी अधिनियम, 1989) के अंतर्गत एक निगमित निकाय है, न कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी।

सिडबी अधिनियम, 1989 में पंद्रह सदस्यीय निदेशक मंडल का प्रावधान है, जिसमें शामिल हैं:

सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित आठ निदेशक

- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
- दो पूर्णकालिक निदेशक (उप प्रबंध निदेशक)
- केंद्र सरकार के दो अधिकारी
- सिडबी के लिए उपयोगी क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से तीन निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले बैंक, बीमा कंपनियां आदि शामिल हैं, के 3 सबसे बड़े शेयरधारकों द्वारा नामित तीन निदेशक

सिडबी के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित अधिकतम 4 निदेशक (अन्य उन शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चुनाव न होने पर)

31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल में 12 निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दो उप प्रबंध निदेशक, केंद्र सरकार के दो अधिकारी, तीन सबसे बड़े शेयरधारकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा नाबार्ड के तीन नामिती निदेशक और निदेशक मंडल द्वारा सहयोजित चार निदेशक। उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट तीन निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जानी शेष है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के संघटन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-

श्री शिवसुब्रमणियन रमण को केंद्र सरकार द्वारा 19 अप्रैल, 2021 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री सुदत्त मंडल को केंद्र सरकार द्वारा 03 मई, 2021 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री बी. शंकर को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 29 जून, 2021 से नामित किया गया।

श्री कृष्ण सिंह नगन्याल को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 29 अक्तूबर, 2021 से नामित किया गया।

श्री मनोरंजन मुखर्जी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 29 दिसंबर, 2021 से नामित किया गया।

श्री अमित टंडन को निदेशक मंडल द्वारा 08 अगस्त, 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में सहयोजित किया गया।

श्री जी. के. बंसल (29 जून, 2018 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित) 28 जून, 2021 को निदेशक के दायित्व से मुक्त हो गए।

श्री डी. सत्य कुमार (16 जुलाई, 2019 से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नामित) 28 अक्तूबर, 2021 को निदेशक के दायित्व से मुक्त हो गए।

श्री एल. आर. रामचंद्रन (23 जून 2020 से नाबार्ड द्वारा नामित) 28 दिसंबर, 2021 को निदेशक के दायित्व से मुक्त हो गए।

सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 से शासित होता है। अतः निदेशक मंडल का संघटन सिडबी अधिनियम, 1989 के अनुसार है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सिडबी ने अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया है और इसलिए उनका निर्गमन सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 से शासित होता है। ऋण प्रतिभूतियों की कुल राशि ₹500 करोड़ से अधिक होने के कारण सिडबी उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध कराने वाली संस्था की परिभाषा के दायरे में आता है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") में 07 सितंबर, 2021 की अधिसूचना के जरिए संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध कराने वाली संस्थाओं पर निगम अभिशासन से संबंधित विनियम 15 से 27, अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक लागू होंगे।

तदनुसार, सिडबी प्रबंध-तंत्र निर्धारित समयावधि तक नियमित अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। वर्तमान में 12 निदेशक हैं, जिनमें से 3 कार्यपालक/ पूर्णकालिक निदेशक हैं। 9 निदेशक गैर- कार्यपालक निदेशक हैं, जिनमें सरकार के 2 नामिती निदेशक (सरकारी अधिकारी), एसबीआई / एलआईसी / नाबार्ड के 3 नामिती निदेशक तथा 4 सहयोजित निदेशक शामिल हैं। नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशक मंडल में शामिल गैर-कार्यपालक निदेशक स्वतंत्र निदेशक माने जाएंगे। अतः सिडबी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारी स्वतंत्र निदेशक माने जा सकते हैं। अतः सिडबी महिला निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में एलओडीआर अपेक्षा पूरी करता है।

एलओडीआर 2015 के विनियम 16(बी) के अनुसार, "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ है सूचीबद्ध संस्था के नामिती निदेशक को छोड़कर कोई गैर-कार्यपालक निदेशक।

स्पष्टीकरण - 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्धता वाली संस्था' के मामले में : (क) जो ऐसा निगमित निकाय हो, जिसे अपने निदेशक मंडल का गठन उस कानून, जिसके अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है, के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से करने का अधिदेश प्राप्त हो, निदेशक मंडल में शामिल गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।

विनियम 17(1) (क) के अनुसार, निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और निदेशक मंडल में न्यूनतम पचास प्रतिशत गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे।

उपर्युक्त के मद्देनजर, सिडबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों की पूर्ति करता है, जिनके अनुसार कम से कम 1 महिला निदेशक तथा न्यूनतम 50% गैर-कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक होना अपेक्षित है (सरकारी निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक मानते हुए)। सिडबी ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जो कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है, से अनुरोध किया है कि सिडबी अधिनियम, 1989 में यथानिर्दिष्ट सिडबी के लिए उपयोगी विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति सिडबी के निदेशक मंडल में की जाए, ताकि सिडबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन कर सके।

31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत था:

नाम	विवरण
पूर्णकालिक निदेशक	
श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक
श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
सरकार के नामिती निदेशक	
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह[1]	सचिव, सहकारिता मंत्रालय
श्री पंकज जैन[1]	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अन्य शेयरधारकों के नामिती	
श्री बी. शंकर[1]	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम
श्री मनोमय मुखर्जी	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड
सहयोजित निदेशक - गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र)	
श्री जी. गोपालकृष्ण	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री आशीष गुप्ता	प्रबंध निदेशक, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज़ इंडिया प्रा. लि.
श्रीमती नुपुर गर्ग	भूतपूर्व क्षेत्रीय लीड - दक्षिण एशिया, प्राइवेट ईक्विटी एंड वेंचर फंड्स, आईएफसी
श्री अमित टंडन	संस्थापक और प्रबंध निदेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइज़री सर्विसेज़ इंडिया लि. (आईआईएएस)

[1] अब निदेशक मंडल में नहीं हैं और भारत सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक से नए नामांकन प्राप्त हो गए हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसरण में, सिडबी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने या निदेशक बने रहने के लिए सेबी/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विवर्जित/ अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों को सिडबी के मामलों के संचालन के लिए अपेक्षित क्षेत्रों, जैसे - वित्त, विधि, प्रबंधन आदि में आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता प्राप्त है। वित्तीय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, कॉर्पोरेट आयोजना और कार्यनीति, व्यवसाय विकास आदि क्षेत्रों में निदेशक मंडल के सदस्यों के कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता की सूची इस रिपोर्ट में आगे दी गई है।

निदेशक मंडल की बैठकें और वार्षिक सामान्य बैठक

निदेशक मंडल की बैठकें एक संरचित कार्यसूची के अनुसार होती हैं और निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी विषय-वस्तु के समावेश की संस्तुति करने के लिए स्वतंत्र है। सभी प्रमुख मुद्दों पर कार्यसूची के विस्तृत कागजात, स्पष्टीकरण टिप्पणियों सहित, अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं, ताकि निदेशक मंडल अच्छी जानकारी के साथ स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें हुई, जिनकी तिथियां हैं - (i) 25 मई, 2021 (ii) 07 अगस्त, 2021 (iii) 6 नवंबर, 2021 तथा (iv) 02 फरवरी, 2022। वार्षिक सामान्य बैठक 15 जुलाई, 2021 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई निदेशक मंडल की बैठकों तथा वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता तथा अन्य कंपनियों की समितियों में उनकी सदस्यता / अध्यक्षता की स्थिति और उनके मुख्य कौशल, विशेषज्ञता तथा दक्षताएं आदि निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति			सिडबी सहित सभी कंपनियों में निदेशकता / समिति सदस्यता अध्यक्षता की संख्या				मुख्य कौशल/ दक्षताएं
			वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		15/07/2021 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति	निदेशकता [विनियम 17(क)(1)]	स्वतंत्र निदेशकता [विनियम 17 (क)(1)	समिति सदस्यता* [विनियम 26(1)]	समिति अध्यक्षता* [विनियम 26(1)]	
			आयोजित	सम्मिलित						
1	श्री शिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	1	0	0	0	लेखापरीक्षा और लेखांकन, (आईएएएस)
2	श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	1	0	1	0	विकास बैंकिंग, विधि तथा वसूली
3	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक	4	4	हाँ	1	0	1	0	अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश वित्त, परियोजना वित्त, उद्यम समूह वित्त सहित एसएमई ऋण, व्यापार वित्त, और सीमा पार विकास वित्त
4	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	सरकार नामिती	4	1	-	1	1	0	0	विकास आयुक्त (एमएसएमई) और प्रशासनिक सेवाएं(आईएएस), विदेश व्यापार, सरकार का कृषि विभाग
5	श्री पंकज जैन	सरकार नामिती	4	3	-	3	1	2	0	प्रशासनिक सेवाएं(आईएएस), वित्त और लेखा
6	श्री बी. शंकर	नामिती निदेशक	4	3	-	1	1	0	0	वाणिज्यिक बैंकिंग और एमएसएमई वित्तपोषण
7	श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	नामिती निदेशक	4	2	-	1	1	0	0	जीवन बीमा
8	श्री मनोजमय मुखर्जी	नामिती निदेशक	4	1	-	1	1	0	0	विकास बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास वित्त

9	श्री जी गोपालकृष्ण	सहयोजित (गैर कार्यपालक)	4	4	-	2	2	1	0	केंद्रीय बैंकर, बैंकिंग और गैर बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण
10	श्री आशीष गुप्ता	सहयोजित (गैर कार्यपालक)	4	4	-	1	1	1	0	इक्विटी अनुसंधान, वित्त और लेखा, पोर्टफोलियो प्रबंधन
11	श्रीमती नुपुर गर्ग	सहयोजित (गैर कार्यपालक)	4	3	-	2	2	3	1	निजी इक्विटी, कार्यनीति, निवेश और वित्त, अभिशासन और परिचालन
12	श्री अनिल टंडन	सहयोजित (गैर कार्यपालक)	4	2	-	1	1	0	0	बैंकिंग, रेटिंग तथा निवेश सलाह

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सेवानिवृत्त / त्याग पत्र दे चुके निदेशक

1	श्री जी के बंसल	गैर कार्यपालक (नामिती) निदेशक	4	1	-	एसओडीआर 2015 के अनुसार, विनियम 15-27 के प्रावधान सिडबी [उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था (एचवीडीएलई) जिसकी बकाया सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां ₹500 करोड़ और उससे अधिक है] पर 31 मार्च 2021 से लागू हो गए हैं। एसओडीआर के संबंधित प्रावधान 31 मार्च 2023 तक अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण आधार पर लागू हैं। ये निदेशक उक्त दिशानिर्देशों के लागू होने से पहले निदेशक के दायित्व से मुक्त हो गए।				बैंकिंग - कार्पोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, ग्रामीण बैंकिंग, वित्तीय समावेशन
2	श्री वी सत्य कुमार	कार्यपालक (नामिती) निदेशक	4	2	-					जीवन बीमा उत्पादों और गृह वित्त का विपणन और परिचालन
3	श्री एस आर रामचंद्रन	कार्यपालक (नामिती) निदेशक	4	3	-					विकास बैंकिंग और वित्त (कृषि और ग्रामीण विकास)

- केवल लेखापरीक्षा समिति तथा हितधारक संबंध समिति शामिल हैं, सिडबी सहित।

टिप्पणियाँ:

1. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य 7 से अधिक ऐसी संस्थाओं का निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
2. कोई भी पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक 3 से अधिक ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं का निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।
3. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, उन सब संस्थाओं को मिलाकर, जिनमें कि वह निदेशक है, 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।
4. निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
5. यथा 31 मार्च 2022 को कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक सिडबी के शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का धारक नहीं है।
6. यथा 31 मार्च 2022 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (केवल वे संस्थाएं जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) की निदेशकता, जहाँ सिडबी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य निदेशक है, निम्नवत है:

निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम और निदेशकता की श्रेणी
श्री जी गोपालकृष्ण	यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लि.
श्रीमती नुपुर गर्ग	इंडिगो पेंट्स प्रा.लि.
श्री पंकज जैन	1. पंजाब नैशनल बैंक 2. पेट्रोनेट एलएनजी लि.

स्वतंत्र निदेशकों का परिचयात्मक कार्यक्रम

गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशकों को परिचयात्मक जानकारी देना एक सतत प्रक्रिया है। बैंक का प्रयास रहता है कि स्वतंत्र निदेशकों को बैंक में उनकी भूमिका, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, जिस उद्योग में बैंक परिचालनरत है उसके स्वरूप, बैंक के व्यवसाय मॉडल आदि से परिचित कराया जाए।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:

सिडबी अधिनियम की धारा 6(1)(एफ) के प्रावधानों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं को छोड़कर, अन्य शेयर धारकों द्वारा अधिकतम 4 निदेशक विनिर्दिष्ट तरीके से चुने जा सकते हैं। तथापि, जहां शेयरधारिता का प्रतिशत ऐसे निदेशकों के चुनाव की अनुमति नहीं देता अथवा चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रभार ग्रहण किए जाने तक, निदेशक मंडल किसी भी समय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, उद्योग, बैंकिंग, औद्योगिक सहकारिता, कानून, औद्योगिक वित्त, निवेश, लेखांकन, विपणन तथा ऐसे किसी अन्य विषय (जिसका विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव निदेशक मंडल की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से इतनी ही संख्या में, किंतु 4 से अधिक नहीं, निदेशकों को सहयोजित कर सकता है, जो चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रभार ग्रहण करने तक पद संभालेंगे। तदनुसार, सिडबी ने अपने निदेशक मंडल में 4 निदेशक सहयोजित किए थे, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक हैं। इन निदेशकों से भारतीय रिज़र्व बैंक के 'उपयुक्त और उचित' मानदंड संबंधी घोषणाएं प्राप्त की गई थीं। स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्रता के मानदंड पूरे करते हैं, इस आशय की विशिष्ट घोषणा प्राप्त की जा रही है।

एलओडीआर 2015 के अनुसार, विनियम 15-27 के प्रावधान सिडबी (उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था अर्थात् एचवीडीएलई जिसकी बकाया सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ ₹500 करोड़ और उससे अधिक हैं) पर 31 मार्च 2021 से लागू हो गए हैं। एलओडीआर के संबंधित प्रावधान 31 मार्च 2023 तक अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण आधार पर लागू हैं।

3 निदेशक मंडल की समितियाँ:

सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के विनियम 5,6,7 के साथ पठित सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 12 के अनुसार, सिडबी के निदेशक मंडल ने अलग अलग भूमिका, जवाबदेही और प्राधिकार वाली विभिन्न समितियां गठित की हैं, ताकि सिडबी के मामलों पर शीघ्र विचार और संकेंद्रित निर्णय संभव हो सके।

समितियों की बैठकें समय समय पर समितियों के अध्यक्षों द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में, अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर जो बैठक बुलाने संबंधी नोटिस में उल्लिखित हो, बुलाई जाती हैं। सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार ऐसी बैठकों के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है।

ऋण प्रतिभूतियों की कुल राशि ₹500 करोड़ से अधिक होने के नाते, संशोधित एलओडीआर 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के अनुसार, नैगम अभिशासन मानक सिडबी(उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था) पर अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण आधार पर 31 मार्च, 2023 तक लागू हो गए हैं। तदनुसार, कुछ समितियाँ, यथा (i) निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति (ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति (iii) जोखिम प्रबंध समिति को सेबी एलओडीआर 2015 के अनुरूप पुनर्गठित किया जाना है और उनके कार्यों की समीक्षा की जानी है। साथ ही, एलओडीआर 2015 के अनुसार, एक हितधारक संबंध एवं शेयरधारक निवेशक परिवेदना समिति गठित की जानी है। प्रबंध तंत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त विनियम का अनुपालन पूरा करने के उद्देश्य से नियंत्रक वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के परामर्श से आवश्यक कदम उठा रहा है।

विभिन्न समितियों का गठन निम्नवत है:

3.1 लेखापरीक्षा समिति

यथा 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षा समिति निम्नवत थी:

निदेशक का नाम	प्रकार	विवरण
श्रीमती नूपुर गर्ग	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
श्री पंकज जैन	सरकारी अधिकारी नामिती	सदस्य
श्री वी. सत्य वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	सदस्य
श्री सुदत्त मंडल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य
श्री आशीष गुप्ता	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य

समिति को लेखापरीक्षा उद्यम के कामकाज का पर्यवेक्षण करने और उसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा करने, बैंक के लेखों को अंतिम रूप देने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें हुईं, जिनकी तिथियां हैं - (i)25 मई, 2021 (ii)07 अगस्त, 2021 (iii)06 नवंबर, 2021 (iv)02 फरवरी, 2022।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैठकों में सदस्यों की सहभागिता का विवरण निम्नलिखित है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्रीमती नूपुर गर्ग (25/10/2021 से)	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	4	1
श्री पंकज जैन (31/03/2022 तक)	सरकारी अधिकारी नामिती	4	3
श्री वी. सत्य वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री सुदत्त मंडल	कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री आशीष गुप्ता	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	4	4
श्री वी. सत्य कुमार (28.10.2021 तक)	गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशक	4	2

बैंक एलओडीआर 2015 के अनुसार, उक्त समिति के गठन/कामकाज की समीक्षा कर रहा है जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक हों।
- बैंक के कंपनी सचिव को समिति का सचिव नामित किया जाए।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों का समिति द्वारा मूल्यांकन
- व्हिसिल ब्लोअर कार्यप्रणाली के कामकाज की समीक्षा
- किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में सिडबी की स्थापना सिडबी अधिनियम, 1989 के तहत हुई, जिसके अनुसार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक निर्धारण संबंधी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। तथापि, सिडबी ने सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के लागू हो जाने के पश्चात, समिति के गठन और कार्यों को 31 मार्च 2023 तक एलओडीआर के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2022 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति निम्नवत थी:

निदेशक का नाम	प्रकार	विवरण
श्री पंकज जैन	गैर कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती)	अध्यक्ष
श्रीमती नूपुर गर्ग	गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य
श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	गैर कार्यपालक (नामिती) निदेशक	सदस्य
श्री जी गोपालकृष्ण	गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	सदस्य

वर्तमान में उक्त समिति को बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन के भुगतान के अनुमोदन का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त समिति सिडबी के निदेशक मंडल में सहयोजित करने के लिए, अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति निदेशक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करती है। ऐसा यह सत्यापित करने के बाद किया जाता है कि वे अभ्यर्थी "उपयुक्त और उचित" मानदंड को पूरा करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, समिति की एक बैठक 07 अगस्त 2021 को हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

सदस्यों के नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री पंकज जैन	गैर कार्यपालक निदेशक (सरकार नामिती)	1	1
श्रीमती नूपुर गर्ग	गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	1	1
श्री एल आर रामचंद्रन	गैर कार्यपालक (नामिती) निदेशक	1	1

प्रबंध तंत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन, भूमिका और विचारार्थ विषयों की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कम से कम दो तिहाई निदेशक गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक होंगे।
- निदेशक मंडल की विविधता के संबंध में नीति तैयार करना।
- गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशकों / वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक संबंधी मामले

वर्तमान में, गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। उन्हें निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

3.3. हितधारक संबंध समिति

यह सेबी एलओडीआर 2015 के अंतर्गत अनिवार्यतः गठित की जाने वाली समितियों में से एक है। इसके गठन और कार्यों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- समिति में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम 1 गैर कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक हों।
- समिति के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे।
- समिति की वर्ष में कम से कम 1 बैठक होगी।
- समिति के उत्तरदायित्व में प्रतिभूतिधारकों (शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों) की परिवेदनाओं का समाधान शामिल है।

वर्तमान में सिडबी में ऐसी कोई समिति नहीं है। प्रबंध तंत्र इसका गठन कर रहा है, ताकि 31 मार्च, 2023 तक सेबी विनियमों का अनुपालन हो सके।

3.4. जोखिम प्रबंध समिति:

सिडबी ने सिडबी अधिनियम 1989 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंध समिति का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के लागू हो जाने के पश्चात, समिति के गठन और कार्यों को 31 मार्च 2023 तक एलओडीआर 2015 के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2022 को समिति का गठन निम्नवत था:

निदेशक का नाम	प्रकार	विवरण
श्री अमित टंडन	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	अध्यक्ष
श्री वी सत्य वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	सदस्य
श्री सुदत्त मंडल	कार्यपालक निदेशक	सदस्य
श्री बी. शंकर	गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशक	सदस्य
श्री मनोमय मुखर्जी	गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशक	सदस्य

वर्तमान में जोखिम प्रबंध समिति को बैंक के एकीकृत जोखिम प्रबंध हेतु नीति और कार्यनीति निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुईं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुई समिति की 5 बैठकों की तिथि हैं - (i) 25 मई, 2021 (ii) 04 अगस्त, 2021 (iii) 08 अक्तूबर, 2021 (iv) 02 नवंबर, 2021 और (v) 31 जनवरी, 2022.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की सहभागिता का विवरण निम्नलिखित है:

सदस्यों के नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री अमित टंडन (25/10/2021 से)	गैर-कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशक	2	2
श्री वी. सत्य वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री सुदत्त मंडल	कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री बी. शंकर (02/07/2021 से)	गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशक	4	0
श्री मनोमय मुखर्जी (11/01/2022 से)	गैर-कार्यपालक (नामिती) निदेशक	1	1
श्री वी. सत्य कुमार (28/10/2021 तक)	भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती	3	3
श्री जी. के. कंसल (28/06/2021 तक)	भारतीय स्टेट बैंक के नामिती	1	1
श्री एल. आर. रामचंद्रन (28/12/2021 तक)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नामिती	1	1

वर्तमान ढांचा और कार्य मोटे तौर पर सेबी एलओडीआर 2015 के अनुरूप हैं। समिति के कार्यों की प्रबंध तंत्र द्वारा समीक्षा की जा रही है, ताकि समिति के दायरे का विस्तार कर उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का भी समावेश किया जाए:

- एक विस्तृत जोखिम प्रबंध नीति तैयार करना, जिसमें वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्रगत, वहनीयता (खासकर ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा कोई अन्य जोखिम शामिल हो।
- व्यवसाय निरंतरता योजना
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, पद से हटाना, तथा पारिश्रमिक की शर्तें

3.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 12 के अंतर्गत बैंक में अन्य निदेशक मंडल स्तरीय समितियाँ भी हैं।

यथा 31 मई, 2022 को, सभी निदेशक मंडल स्तरीय समितियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	समिति		संघटन
1	कार्यपालक समिति (14 बैठकें)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री वी. शंकर
		5	श्री जी. गोपालकृष्ण
2	लेखापरीक्षा समिति (4 बैठकें)	1	श्री ललित कुमार चंदेल
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री आशीष गुप्ता
		5	श्रीमती नूपुर गर्ग
3	जोखिम प्रबंध समिति (5 बैठकें)	1	श्री अमित टंडन, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री वी. शंकर
		5	श्री मनोमय मुखर्जी
4	बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति (4 बैठकें)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री ललित कुमार चंदेल
		5	श्री वी. शंकर
		6	श्रीमती नूपुर गर्ग
5	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (4 बैठकें)	1	श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
		2	श्री सुदत्त मंडल
		3	श्री आशीष गुप्ता
		4	श्री मेकिन माहेश्वरी (बाह्य विशेषज्ञ)
		5	श्री राजेश दोषी (बाह्य विशेषज्ञ)
		6	श्री पुष्पिंदर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

क्रम सं.	समिति	संघटन	
6	ग्राहक सेवा समिति (4 बैठकें)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री बी. शंकर
		5	श्री जी. गोपालकृष्ण
7	मानव संसाधन संचालन समिति (कोई बैठक नहीं)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री ललित कुमार चंदेल
		5	श्री बी. शंकर
		6	डॉ. चित्रा राव (बाह्य विशेषज्ञ)
8	वसूली समीक्षा समिति (4 बैठकें)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री वी. सत्य वेंकट राव
		3	श्री सुदत्त मंडल
		4	श्री ललित कुमार चंदेल
		5	श्री जी. गोपालकृष्ण
9	उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति (7 बैठकें)	1	श्री वी. सत्य वेंकट राव, अध्यक्ष
		2	श्री सुदत्त मंडल
		3	श्री बी. शंकर
		4	श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
		5	श्रीमती नूपुर गर्ग
10	इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ताओं संबंधी समीक्षा समिति (कोई बैठक नहीं)	1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
		2	श्री जी. गोपालकृष्ण
		3	श्री आशीष गुप्ता
11	नामांकन और पारिश्रमिक समिति (1 बैठक)	1	श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
		2	श्री जी. गोपालकृष्ण
		3	श्रीमती नूपुर गर्ग
12	संवर्द्धनशील और विकासपरक गतिविधियों संबंधी समिति (कोई बैठक नहीं)	1	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
		2	श्री ललित कुमार चंदेल
		3	श्री वी. सत्य वेंकट राव

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गई संख्या वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुई बैठकों को इंगित करती है।

4 निदेशकों का पारिश्रमिक

सिडबी एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है, जिसका गठन सिडबी अधिनियम 1989 के अंतर्गत हुआ, जिसके अनुसार सभी पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो उप प्रबंध निदेशक) की नियुक्ति केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है, जो नियुक्ति आदेशों / वेतन निर्धारण आदेशों के जरिए, अन्य बातों के साथ साथ, इन पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित करता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों के मामले में निदेशक का पारिश्रमिक पाने के अलावा, निदेशक मंडल के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रवर्तकों अथवा इसकी सहायक कंपनियों के साथ अन्य कोई ऐसा महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं होता, जो निदेशक मंडल की दृष्टि में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता हो। निदेशकों तथा कार्यपालक समिति एवं अन्य समितियों के सदस्यों का शुल्क तथा भत्ते सिडबी सामान्य विनियम, 2000 के साथ पठित सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 12 ए से शासित होते हैं।

गैर कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र) / नामिती निदेशकों / सरकार के नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सिडबी ने गैर-कार्यपालक निदेशकों, सरकारी निदेशकों को छोड़कर, को बैठक शुल्क का भुगतान किया। निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए क्रमशः ₹40,000/- तथा ₹20,000/- प्रति बैठक का शुल्क अदा किया जाता है। साथ ही, निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹10,000/- तथा ₹5,000/- प्रति बैठक का अतिरिक्त शुल्क अदा किया जाता है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक, अनुलाभ सहित, इस प्रकार है - श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को ₹49.22 लाख, श्री वी. सत्य वेंकट राव, उप प्रबंध निदेश को ₹44.30 लाख और श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबंध निदेशक को ₹42.32 लाख।

बैंक के निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार, यथा 31 मार्च 2022 को उनमें से किसी के पास सिडबी का कोई शेयर नहीं है।

कंपनी के निदेशकों के पास कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं है।

बैंक के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022 हेतु कोई भी कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन लागू नहीं था।

पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

2 सरकारी नामिती निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो तब तक निदेशक पद पर रह सकते हैं, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा बदलाव नहीं किए जाते।

नामिती निदेशक तीन सबसे बड़े शेयरधारकों तथा भारत सरकार, यथा प्रयोज्य, द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो तब तक निदेशक पद पर रह सकते हैं, जब तक कि संबंधित शेयरधारकों / केंद्र सरकार द्वारा बदलाव नहीं किए जाते।

सहयोजित निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

नोटिस अवधि / विच्छेद शुल्क लागू नहीं है।

5 सामान्य सभा की बैठक

पिछली 3 वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वार्षिक सामान्य बैठक सं.	दिनांक और समय	स्थान	वित्तीय वर्ष
22	02/07/2020 11:00 बजे पूर्वाह्न	माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए	वित्तीय वर्ष 2019-20
23	15/07/2021 11:00 बजे पूर्वाह्न	माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए	वित्तीय वर्ष 2020-21
24	25/06/2022 10:30 बजे पूर्वाह्न	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001	वित्तीय वर्ष 2021-22

पिछली 3 वार्षिक सामान्य बैठकों में नियमित कार्यसूची मदों के अनुसार सामान्य संकल्प पारित किए गए और कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए। साथ ही, डाक मतपत्र संबंधी कोई परिचालनगत प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं थी।

संचार के साधन

सिडबी के तिमाही / छमाही / वार्षिक वित्तीय परिणाम अग्रणी हिंदी और अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय परिणाम फायनेंशियल एक्सप्रेस (7 संस्करण) तथा जनसत्ता (हिंदी, लखनऊ) में प्रकाशित हुए। वित्तीय परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियाँ तथा अन्य आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ सिडबी की वेबसाइट (www.sidbi.in) पर प्रकाशित होती हैं।

6 सामान्य शेयरधारकों संबंधी सूचना

सिडबी के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग नहीं होती और इसलिए वे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज अथवा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और साथ ही सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम से शासित होता है। तथापि, उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्था होने के नाते सिडबी पर सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के संबंधित प्रावधान अनुपालन हेतु लागू हो गए हैं।

(क) **वार्षिक सामान्य बैठक:** उपर्युक्त परिच्छेद 5 में यथा उल्लिखित

(ख) **लाभांश भुगतान तिथि :**

वित्तीय वर्ष	लाभांश भुगतान तिथि
FY 2020-21	03.08.2021
FY 2021-22	06.07.2022

(ग) **वित्तीय वर्ष:**

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के परिणाम	अगस्त, 2022 का द्वितीय सप्ताह
30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के परिणाम	नवंबर, 2022 का द्वितीय सप्ताह
31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के परिणाम	फरवरी, 2023 का द्वितीय सप्ताह
31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के परिणाम	मई, 2023 का चतुर्थ सप्ताह

(घ) **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता::** नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 40051

वित्तीय वर्ष 2022 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को कर दिया गया है।

(ङ) **स्टॉक कोड:** लागू नहीं.

सिडबी निजी प्रस्तुति आधार पर केवल ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है जो डिबेंचर की प्रकृति वाली मोचनीय, करयोग्य, अपरिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की अप्रतिभूत प्रतिभूतियाँ होती हैं। ऋण प्रतिभूतियाँ - सिडबी (एनएसई)

(च) **पिछले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के दौरान बाज़ार मूल्य डेटा-उच्च, निम्न:** लागू नहीं।

सिडबी के ईक्विटी शेयर भारत सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों / संस्थाओं के पास हैं और किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी निजी प्रस्तुति आधार पर केवल ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है जो डिबेंचर की प्रकृति वाली मोचनीय, करयोग्य, अपरिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की अप्रतिभूत प्रतिभूतियां होती हैं।

(छ) **बीएसई संवेदी सूचकांक, क्रिसिल सूचकांक जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन:** लागू नहीं।

(ज) **यदि प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया जाता है, तो निदेशकों की रिपोर्ट में इसके कारणों को स्पष्ट किया जाएगा:** लागू नहीं।

(झ) **निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट:** लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सिडबी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट हैं। विवरण निम्नलिखित है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.,
सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट,
मुंबई - 400083
दूरभाष: 022-49186000, फैक्स: 022-49186060
ई-मेल: debtca@linkintime.co.in
वेबसाइट: www.linkintime.co.in

सिडबी के ईक्विटी शेयर भारत सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों / संस्थाओं के पास हैं और किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी निजी प्रस्तुति आधार पर केवल ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है जो डिबेंचर की प्रकृति वाली मोचनीय, करयोग्य, अपरिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की अप्रतिभूत प्रतिभूतियां होती हैं। ये प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और आवंटन, अंतरण तथा निर्वापन संबंधी सभी गतिविधियों का लेखाजोखा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखा जाता है।

(ञ) **शेयर अंतरण प्रणाली:** सभी आवंटन, अंतरण तथा निर्वापन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं।

(ट) **शेयरधारिता का वितरण:** भारत सरकार, तथा 22 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक /वित्तीय संस्थाएं / बीमा कंपनियाँ, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा प्राधिकार के अधीन हैं, बैंक के शेयर धारित करती हैं।

यथा 31 मार्च, 2022 को प्रमुख शेयरधारक निम्नवत हैं:

शेयरधारक का नाम	धारिता का %
भारत सरकार	20.85
भारतीय स्टेट बैंक	15.65
भारतीय जीवन बीमा निगम	13.33
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	9.36
पंजाब नैशनल बैंक	5.96
अन्य	34.85

(ठ) **शेयरों का अमूर्तीकरण तथा तरलता:** सिडबी के शेयर अमूर्त स्वरूप में हैं और किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

सिडबी के ईक्विटी शेयर भारत सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों / संस्थाओं के पास हैं और किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ड) **बकाया वैश्विक डिपोजिटरी रसीदें अथवा अमेरिकी डिपोजिटरी रसीदें अथवा वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखतें, संपरिवर्तन तिथि तथा ईक्विटी पर संभावित प्रभाव:** लागू नहीं

सिडबी के ईक्विटी शेयर भारत सरकार तथा भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों / संस्थाओं के पास हैं और किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी, निजी प्रस्तुति आधार पर केवल ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है जो डिबेंचर की प्रकृति वाली मोचनीय, करयोग्य, अपरिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र की अप्रतिभूत प्रतिभूतियां होती हैं।

(ढ) **पण्य कीमत जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव (हेजिंग) गतिविधियां:** लागू नहीं।

व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण देखें।

(ण) **संयंत्र अवस्थिति:** लागू नहीं।

भारतीय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों के समन्वय हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्यरत है। सिडबी का प्रधान कार्यालय सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिडबी के कार्यालय पूरे भारत में हैं।

(त) **पत्राचार हेतु पता. प्रधान कार्यालय:** सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 उत्तर प्रदेश

कॉर्पोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन, सी -11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400051

(थ) **संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था द्वारा अपने सभी ऋण लिखतों अथवा किसी सावधि जमा कार्यक्रम अथवा सूचीबद्ध संस्था की निधि संग्रहण संबंधी किसी योजना या प्रस्ताव, चाहे भारत में चाहे विदेश में, हेतु प्राप्त की गई सभी क्रेडिट रेटिंगों और उनमें हुए संशोधनों की सूची**

(1) केयर लिमिटेड - निम्नलिखित रेटिंग की पुनःपुष्टि:

- केयर एएए; स्थिर - एएए; दृष्टिकोण: स्थिर [₹1,50,000 करोड़ के एमएसई/आरआईडीएफ जमा और ₹21,861.50 करोड़ के अप्रतिभूत बॉण्डों हेतु]
- केयर एएए (एफडी); स्थिर - एएए; सावधि जमा; दृष्टिकोण: स्थिर [₹10,000 करोड़ के सावधि जमा हेतु]
- केयर एएए; स्थिर - एएए; दृष्टिकोण: स्थिर / केयर ए1+[ए वन प्लस] [₹46,000 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर प्रोग्राम / जमा प्रमाणपत्र हेतु]
- केयर एएए/ केयर ए1+; स्थिर - एएए/ ए वन प्लस; दृष्टिकोण: स्थिर] [₹30,000 करोड़ के बैंक ऋणों (दीर्घावधि / अल्पावधि) हेतु]

(2) इक्रा लिमिटेड ने कुल ₹20,000 करोड़ के अप्रतिभूत बॉण्ड निर्गम कार्यक्रम के लिए इक्रा एएए/स्थिर रेटिंग की पुनःपुष्टि की है।

(3) इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने ₹21,600 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर कार्यक्रम के लिए इंड ए1+ रेटिंग की पुनःपुष्टि की है।

7 अन्य प्रकटन

(क) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तत्संबंधी पक्षकारों के लेनदेन-संव्यवहारों पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है सिडबी के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के लेखा मानक 18 के अंतर्गत शामिल।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड, गर्हण का विवरण: सिडबी निजी शेयर-आबंटन के आधार पर डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र, गैर-जमानती प्रतिभूतियां जारी करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

पिछले तीन वर्षों में सिडबी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सिडबी पर कोई दंड, गर्हण नहीं लगाया गया है।

(ग) सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण [/] व्हिसल ब्लोअर नीति और इस बात की पुष्टि कि किसी भी कर्मी को लेखापरीक्षा समिति तक के अभिगम से वंचित नहीं किया गया है - बैंक ने सतर्कता तंत्र और बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति का प्रवर्तन किया है। बैंक निवारक और अतिसक्रिय सतर्कता पहलुओं पर बल देता है और दक्षता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यथेष्ट प्रयास कर रहा है। बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक प्राधिकृत एजेंसी के रूप में सीवीसी बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालयीन पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या संबंधित प्रकटीकरण पर विचार करेगा।

सिडबी की एलओडीआर 31/03/2023 से प्रयोज्य होने के साथ ही, व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा का कार्य लेखापरीक्षा समिति द्वारा संपन्न किया जाएगा और समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एलओडीआर के अनुसार किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक के अभिगम से वंचित नहीं किया गया है। प्रबंधन निर्धारित समय-सीमा के भीतर विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अभीष्ट प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है।

(घ) अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के स्वीकरण के विवरण: एलओडीआर 2015 के विनियम 15-27 के अनुसार, निगम अभिशासन के मानदंड 31/03/2023 तक अनुपालन या तत्संबंधी स्पष्टीकरण के आधार पर लागू होते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में उल्लिखित है, सिडबी 31/03/2023 तक विनियमावली का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। यह संबंधित अपेक्षाओं के अनुपालन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार से संपर्क स्थापित करते जा रहा है।

(ङ) 'मूर्त' सहयोगी कंपनियों के निर्धारण हेतु नीतिगत प्रकटीकरण का वेब लिंक: वर्तमान में 'मूर्त' सहयोगी कंपनियों के निर्धारण के किसी भी प्रकार की नीति उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31/03/2023 से पूर्व निर्धारित अवधि तक कार्यान्वयन की दृष्टि से इसकी समीक्षा की जाएगी।

(च) संबंधित पक्षकारों के लेनदेन-संव्यवहारों पर केंद्रित नीति के लिए वेब लिंक: संबंधित पक्षकारों के लेनदेन-संव्यवहार सिडबी के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के लेखा मानक 18 के अंतर्गत समाहित हैं। वर्तमान में, संबंधित पक्षकारों के लेनदेन-संव्यवहार से संबंधित कोई भी नीति अस्तित्व में नहीं है। प्रबंधन 31/03/2023 की निर्धारित अवधि तक प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

(छ) जिंस मूल्य जोखिम और जिंस बचाव गतिविधियों का प्रकटीकरण लागू नहीं। सिडबी किसी भी 'जिंस' से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ज) विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिमानी आवंटन या अर्हता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से जुटाई गई निधि के सदुपयोग का विवरण। - लागू नहीं।

सिडबी के ईक्विटी शेयर भारत सरकार और भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों/ संस्थानों द्वारा धारित हैं और किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी निजी स्थापन के आधार पर डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र, असुरक्षित प्रतिभूतियों के रूप में केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।

(झ) परामर्शी सेवा में रत कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल में किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या उनके बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं घोषित किया गया है। सिडबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार /3 सबसे बड़े शेयरधारकों द्वारा /निदेशक मंडल के सहयोजन के माध्यम से की जाती है। इसीलिए सिडबी अधिनियम 1989 में निहित अपेक्षाओं के अनुकूल सिडबी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। तथापि, प्रावधान का अनुपालन 31/03/2023 की निर्धारित समयावधि के भीतर सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

(ञ) निदेशक मंडल द्वारा अपनी ही समिति की अनिवार्यतया आवश्यक कोई सिफारिश स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित वित्तीय वर्ष में, उक्त कारणों के साथ तत्संबंधी उल्लेख किया जाना चाहिए:

बशर्ते, उक्त खंड केवल वहीं प्रयोज्य होगा, जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति द्वारा सिफारिश/ संबंधित प्रस्तुति आवश्यक होगी और जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी लेनदेन-संव्यवहार को संपन्न करने के लिए संबंधित समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, वहां यह लागू नहीं होगा। शून्य

(ट) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान समेकित आधार पर बैंक और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा प्राप्त सभी सेवाओं के लिए शुल्क के विवरण निम्नानुसार है:

(करोड ₹)

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण	सिडबी (एकल कार्य)	सिडबी की सहयोगी कंपनियां			समेकित भुगतान
			एसवीसीएल	एसआईसीएल	मुद्रा	
	लेखा परीक्षक का नाम	बोरकर ऐंड मुजुमदार, सनदी लेखाकार	मेसर्स आरबी जैन ऐंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	मेसर्स शाह ऐंड मोदी, सनदी लेखाकार	वी.सी.शाह ऐंड कंपनी, सनदी लेखाकार	
1	लेखापरीक्षा शुल्क	0.26	0.01	0.01	0.05	0.32
2	कराधान संबंधी मामले	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03
3	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	0.04	0.00	0.00	0.01	0.05
	कुल	**0.32**	**0.01**	**0.01**	**0.06**	**0.40**

(ठ) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

- वित्तवर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - शून्य
- वित्तवर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य
- वित्तवर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य

(ड) सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा 'उन प्रतिष्ठानों /कंपनियों को उधार की प्रकृति के ऋण और अग्रिम, जिनमें निदेशक का नाम और राशि से हित जुड़ा है' का प्रकटीकरण:

बशर्ते, यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी।- शून्य

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में की गई व्यवस्था के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

सिडबी, सिडबी सामान्य विनियम 2000 के साथ पठित सिडबी अधिनियम, 1989 द्वारा अभिशासित है। एक उच्च मूल्य की सूचीबद्ध ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में, नैगम अभिशासन से संबंधित विनियम 15-27 के प्रावधान सिडबी पर अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर 31/03/2023 तक लागू किए गए हैं। विनियम 17(5) (ए) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अपने सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करनी होती है (बी) इस आचार संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को सम्यक् रूप से शामिल किया जाएगा। तदनुसार, प्रबंधन निर्धारित समयावधि के भीतर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उक्त आचार संहिता की सृजन-प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है।

श्री शिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07685657

नैगम अभिशासन संबंधी प्रमाणपत्र

[सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची V के भाग ई के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
कारपोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन
सी-11, जी - ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र भारत

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी') द्वारा नैगम अभिशासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि यथापेक्षा प्रयोज्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम) के विनियम 15 से 27 में निर्धारित है।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जाँच नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिडबी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रही है। यह सिडबी के वित्तीय विवरणों से संबंधित न तो लेखापरीक्षा है और न ही किसी प्रकार की मताभिव्यक्ति है।

संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, सिडबी एक पृथक सांविधि-संस्था है और यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी विनियमन, 2000 द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 की प्रयोज्यता पर सिडबी अधिनियम के प्रावधानों को वरीयता दी जाती है।

कृते: मेसर्स दीप शुक्ला ऍड एसोशिएट
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 5652
सीपी सं.: 5364
यूडीआईएन: एफ/F005652D000367662

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2022

सचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट / यथा 321 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुरूप]

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
कारपोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन
सी-11, जी - ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व
मुंबई - 400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अनंतर सिडबी नाम से अभिहित) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और श्रेष्ठ नैगम प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है।

सिडबी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्तों, प्रपत्रों और दाखिल विवरणियों तथा सिडबी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे द्वारा उक्त सत्यापन के आधार पर और साथ ही सिडबी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिविक लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, सिडबी ने 31 मार्च 2022 ('लेखापरीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तवर्ष के लिए संपन्न लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि सिडबी के पास इसके आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन, निर्धारित सीमा और स्वरूप में उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद है:

मैंने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तवर्ष के लिए सिडबी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्तों, प्रपत्रों और दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम, 1989)
2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000;
3. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत सृजित नियम यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
4. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत सृजित नियम यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
5. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत सृजित विनियम और उपनियम यथा संशोधित; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत सृजित नियम और विनियम; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश : –

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यक्ति द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं);
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं);

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं

- कंपनी अधिनियम और ग्राहक संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर निर्गम और हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009; (लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं); तथा

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं);

मैंने निम्नलिखित के संबंध में प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिविक मानक - चूंकि कार्यवृत्त प्रक्रियाधीन हैं, सचिविक मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सका है। (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सिडबी पर लागू नहीं)

- सिडबी द्वारा सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के विनियम 2015 के विनियम 15 से 27 तक संबंधित अवधि हेतु प्रयोज्य संगति सहित स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई लिमिटेड के साथ निष्पादित सूचीबद्धता करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सिडबी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि:

- सिडबी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है।

- निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन से पूर्व सभी निदेशकों को यथेष्ट रूप से सूचित किया गया है, कार्यसूची और कार्यसूची पर केंद्रित विस्तृत नोट पूर्व में ही भिजवाए गए हैं और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अन्य अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए एक संगत प्रणाली क्रियाशील है।

- सभी प्रस्ताव बहुसंख्यक निदेशकों की सहमति से पारित किए गए हैं

मैं यह पुनः सूचित करता हूं कि :

- प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और तत्संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके संस्थागत स्वरूप और परिचालन के अनुरूप सिडबी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

मैं पुनः इसका उल्लेख करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में सिडबी के मामलों को प्रमुखता से प्रभावित करने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई सम्मुख नहीं आई है।

कृते: मेसर्स दीप शुक्ला ऍंड एसोशिएट
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 5652
सीपी सं.: 5364
यूडीआईएन: एफ/F005652D000367631

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2022

साचिविक रिपोर्ट के अनुलग्नक और रिपोर्ट निर्मिति के विवरण

सेवा में

सदस्यगण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

कारपोरेट कार्यालय: सिडबी, स्वावलंबन भवन

सी-11, जी - ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व

मुंबई 400051, महाराष्ट्र भारत

अनंतर, मैं इसका उल्लेख करता हूं कि सम तिथि की मेरी उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना अपेक्षित होगा।

1. सचिविक / सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव सिडबी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन अभिलेखों पर एक विचार मात्र व्यक्त करना है।

2. मैंने सचिविक अभिलेखों पर केंद्रित सामग्री की परिशुद्धता के संबंध में समुचित आश्वासन से प्रेरित होकर लेखापरीक्षा की सम्यक् प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है।

3. मैंने सिडबी के वित्तीय अभिलेखों और बही-लेखों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक प्रतीत हुआ, मैंने मौखिक रूप से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और संबंधित कार्यकलापों के निष्पन्न होने के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. नैगम और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच परीक्षण के आधार पर उक्त प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित रही है और किसी भी गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

6. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो सिडबी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता का निदर्शन, जिसके साथ प्रबंधन ने सिडबी के कार्यकलापों का निष्पादन किया है।

अस्वीकरण: नैगम और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर सिडबी एक पृथक संविधि-संस्था है, और यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी विनियमन, 2000 द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, सिडबी अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 तक की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।

परामर्शी नोट: यह परामर्श दिया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के विनियम 15 से 27 तक की संभावनाओं / उनकी प्रयोज्यता पर संबंधित नियामक निकाय से निहित कतिपय छूट सहित स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

कृते: मेसर्स दीप शुक्ला ऐंड एसोसिएट
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 5652
सीपी सं.: 5364
यूडीआईएन: एफ/F005652D000367631

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2022

साचिविक अनुपालन रिपोर्ट

[दिनांक 08 फरवरी, 2019 के सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी 1/27/2019 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार]

यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)" की वार्षिक साचिविक अनुपालन रिपोर्ट

हम, दीप शुक्ला ऐंड एसोसिएट ने निम्नलिखित की जाँच की है:

- हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और अभिलेख तथा सिडबी द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण ("उच्च मूल्य की सूचीबद्ध ऋण संस्था"),
- सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (ओं) में दाखिल की गई विवरणियां /प्रस्तुतियां,
- सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट, (लागू नहीं)
- इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में उपलब्ध अन्य प्रासंगिक दस्तावेज /दाखिल की गई विवरणियां, जिनका सदुपयोग किया गया है;

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ("समीक्षाधीन अवधि") निम्न प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में :

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (सिडबी अधिनियम, 1989);
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), जिसके अंतर्गत सृजित नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अधीन जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों की जांच की गई है, वे इस प्रकार हैं: -

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27; (विधिवत उद्दिनांकित) ;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (प्रयोज्य होने की सीमा तक)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2013; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यक्ति द्वारा व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993, यथा संशोधित;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती संस्था) विनियम, 2008; ***[समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं]***
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018; और उसके अधीन जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश;.

और उपरोक्त जांच के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान:

- सूचीबद्ध संस्था ने सेबी (एलओडीआर), 2015 के उपर्युक्त विनियम 15 से 27 तक के प्रावधानों का निम्नलिखित नोट के अधीन, अनुपालन किया है; (लागू होने की सीमा तक).

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विशिष्ट खंड सहित विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश)	विचलन	अभ्यासरत परामर्शी कंपनी सचिव की टिप्पणियां/अभ्युक्तियाँ
संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर सिडबी एक पृथक संविधि-संस्था है, और यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी विनियमन, 2000 द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, सिडबी अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 तक की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।			

- हमारे द्वारा संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रतीत होता है कि सूचीबद्ध संस्था ने सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 15 से 27 तक के प्रावधानों के अंतर्गत, (लागू होने की सीमा तक) अपेक्षित अभिलेख सृजत किए है।
- उक्त अधिनियमों /विनियमों और परिपत्रों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्था /उसके प्रवर्तकों / निदेशकों /मूर्त सहायक कंपनियों के विरुद्ध या तो सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से जारी मानक परिचालनगत प्रक्रियाओं के अंतर्गत) की गई कार्रवाई के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	की गई कार्रवाई	उल्लंघन के ब्यौरे	की गई कार्रवाई के विवरण यथा, अर्थदंड, चेतावनी-पत्र, विवर्जन आदि।	अभ्यासरत व्यावसायिक कंपनी सचिव की टिप्पणियां / अभ्युक्तियां यदि कोई हों तो.
संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर सिडबी एक पृथक संविधि-संस्था है, और यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी विनियमन, 2000 द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, सिडबी अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 तक की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।				

- सूचीबद्ध संस्था ने पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की है:

क्रम सं.	पिछली रिपोर्टों में अभ्यासरत व्यावसायिक कंपनी सचिव की टिप्पणियां	.....वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए सचिविक अनुपालन रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां....	सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो तो,	सूचीबद्ध संस्था द्वारा की गई कार्रवाइयों पर अभ्यासरत व्यावसायिक कंपनी सचिव की टिप्पणियां
लागू नहीं				

अस्वीकरण: निगम और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर सिडबी एक पृथक सांविधि-संस्था है, और यह सिडबी अधिनियम, 1989 और सिडबी विनियमन, 2000 द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, सिडबी अधिनियम के प्रावधानों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 15 से 27 तक की प्रयोज्यता पर प्राथमिकता दी जाती है।

परामर्शी नोट: यह परामर्श दिया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों के विनियम 15 से 27 तक की संभावनाओं / उनकी प्रयोज्यता पर संबंधित नियामक निकाय से निहित कतिपय छूट सहित स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

कृते: मेसर्स दीप शुक्ला ऐंड एसोशिएट
कंपनी सचिव
(समकक्षी समीक्षित इकाई)

दीप शुक्ला
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 5652
सीपी सं.: 5364
यूडीआईएन: एफ/F005652D000521992

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.06.2022

नैगम अभिशासन के अन्य पहलू

क आंतरिक समितियाँ (वित्तवर्ष के दौरान बैठकों की संख्या)

समिति	बैठकें
उद्यम जोखिम प्रबंध समिति	6 बैठकें
जोखिम एवं सूचना सुरक्षा समिति	5 बैठकें
व्यवसाय सातत्य प्रबंध संचालन समिति	2 बैठकें
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम - आंतरिक परिवाद समितियाँ	वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत नहीं
निवेश समिति	62 बैठकें
आस्ति देयता प्रबंध समिति	27 बैठकें

ख जोखिम प्रबंध

जोखिम प्रबंध संरचना में विभिन्न नीतियाँ, सांगठनिक ढाँचा, आईटी प्रणालियाँ, मूल्यांकन, मापन, शमन और विभिन्न जोखिमों की निगरानी शामिल हैं। संबंधित संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

नीतियां

- उद्यम जोखिम प्रबंध (ईआरएम) नीति
- ऋण नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा नीति
- प्रतिभूति एवं संपार्श्विक प्रबंध नीति
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध (ओआरएम) नीति
- व्यवसाय सातत्य प्रबंध (बीसीएम) नीति
- आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति
- निवेश नीति
- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति
- व्युत्पन्नी आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश (आईसीजीडी)
- बाजार जोखिम प्रबंध नीति (एमआरएमपी)
- मॉडल वैधीकरण नीति

प्रणालियाँ

आईआरएमएस में ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएमएम), ओआरएमएस, आईसीएएपी टूल, रेटिंग मॉडल - जोखिम मूल्यांकन मॉडल (रम), सिडबी मल्टीपैरामीटर असेसमेंट एवं रेटिंग टूल (स्मार्ट) और स्कोर कार्ड, बैंकर्स आस्ति देयता प्रबंध (बीएएलएम) शामिल हैं।

ग गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंध

परिचालनगत समीक्षा का संचालन और निगरानी

यथा 31 मार्च, 2022 तक बैंक में अनर्जक आस्ति की निगरानी और उसकी समीक्षा के लिए एक वसूली उद्-भाग कार्यरत है।

5 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के मूलधन बकाए की सभी अनर्जक आस्तियों से संबंधित मामलों की समीक्षा निदेशक-मंडल स्तर की वसूली समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान, बैंक ने वित्तवर्ष 2021 में 142.52 करोड़ रुपये की वसूली की तुलना में 203.13 करोड़ रुपए के अनर्जक आस्ति की वसूली की है।

घ आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

परिचालन

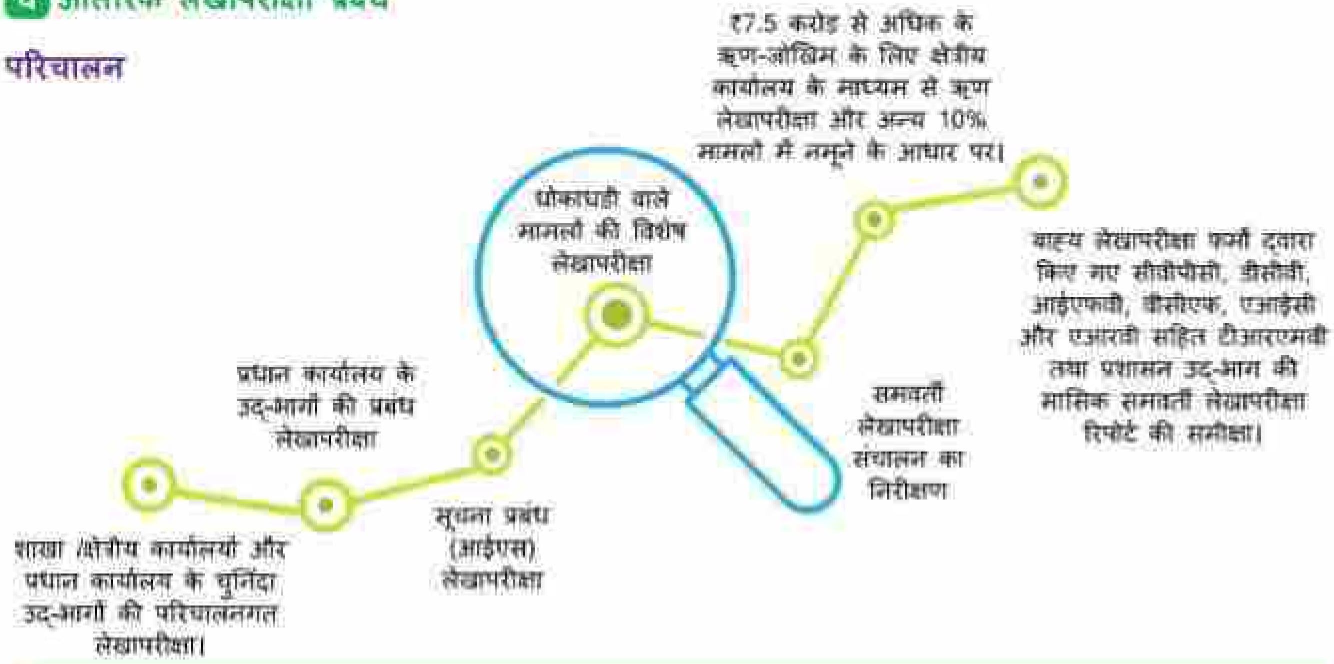

वित्तवर्ष 2022 के दौरान निष्पादित मुख्य विशेषताएं -

- 31 मार्च, 2022 तक 39 शाखा कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा की व्यवस्था से जोड़ा गया, जिसमें प्रत्यक्ष ऋण परिचालनों के 82% से अधिक के खाते शामिल हैं।
- 113 शाखा कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों /प्रधान कार्यालय के उद्-भागों के लिए परिचालनगत लेखापरीक्षा

च मानव संसाधन

बैंक की सबसे मूल्यवान संपत्ति इसका कार्यबल है और इस कार्यबल को सतत रूप से धारने और अपेक्षित उत्कर्ष प्रदान की प्रक्रिया में अपने तदोनुरूपी प्रयासों को सुनिश्चित करने में क्रियाशील रहना सदैव मानव संसाधन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। विभाग एक मुक्त, सहभागी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ निरंतर उच्च प्रदर्शन और नवीन चिंतन प्रणाली को पहचानने और उसे पुरस्कृत करने पर बल देता रहा है।

राष्ट्रीय विकासपरक लक्ष्यों में बैंक की भागीदारी के लगातार परिवर्तनशील संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक का मानव संसाधन निरंतर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए व्यावसायिक रणनीति के साथ अग्रसर है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई कतिपय पहलकदमियां निम्नानुसार हैं:

क्षमता निर्माण

सतत अध्ययन और कौशल विकास बैंक का मूल दर्शन रहा है। क्षमता और दक्षता में सुधार और मानव पूंजी के विकास के व्यापक आधार पर बैंक ने ग्रेड ए, बी और सी के लिए क्षमता निर्माण के लिए एक योजना का प्रवर्तन किया है। इस योजना के अंतर्गत, अधिकारियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और वरीयता की सापेक्षता में यथेष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए योजना

वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक द्वारा डी, ई और एफ ग्रेड के अधिकारियों के लिए 'वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए योजना' आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, अधिकारी प्रतिष्ठित संस्थानों से अपने समग्र विकास के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को चिह्नित कर सकते हैं।

कर्मचारी स्वास्थ्य

कोविड की वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक भय, चिंता और तत्संबंधी विभीषिका का कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। बैंक ने समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य के लिए सक्रिय उपाय के रूप में तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मचारियों की सहायता हेतु एक हेल्पलाइन कार्यक्रम की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व पर बल देने की दृष्टि से योग दिवस पर स्टाफ सदस्यों के लिए एक आभासी योग-सत्र का आयोजन किया है।

कोविड प्रबंध

कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित पंच-स्तरीय रणनीति के अनुरूप सभी स्टाफ सदस्यों की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण, अनुरेखण, उपचार, कोविड-संगत उपयुक्त व्यवहार और उस संबंध में एक सतत निगरानी और मार्गदर्शन तंत्र स्थापित किया गया था। बैंक के सभी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के टीकाकरण के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ नैगम व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति

बैंक ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों की जांच करती है और उनका समयबद्ध तरीके से निपटान करती है।

अन्य उल्लेखनीय पहलकदमियां

वर्ष के दौरान कतिपय जन-केंद्रित पहलकदमियां की गई, जैसे संवर्द्धनपरक मार्ग को सुगम बनाना, प्रोत्साहन योजनाएं, जनशक्ति वृद्धि आदि। वर्ष के दौरान, संवर्द्धनपरक मार्ग के सृजन से कर्मचारियों में व्याप्त प्रेरणात्मक स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंक ने कोविड-पश्चात् कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा।

यथा 31 मार्च, 2022 को मानव संसाधन संख्या

986	कुल स्टाफ
866	अधिकारी
92	तृतीय श्रेणी स्टाफ
28	अधीनस्थ स्टाफ
223	महिला कर्मचारी
172	अनुसूचित जाति
71	अनुसूचित जनजाति
203	अन्य पिछड़ा वर्ग
27	दिव्यांगजन
2	भूतपूर्व सैनिक

प्रशिक्षण एवं विकास

बैंक की मानव संसाधन रणनीति में सदैव प्रशिक्षण और विकास शामिल रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,179 नामांकन
  - आंतरिक कार्यक्रमों के लिए 1,113 नामांकन
  - सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थानों में 66 नामांकन
  - महिलाओं का नामांकन - 205
  - अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - 647
- वित्त वर्ष 2022 के दौरान प्रशिक्षण कर्मियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 2,808 के मुकाबले बढ़कर 4,447 हो गई।
- कुल मिलाकर 223 कर्मचारियों ने पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें से 73 अनुसूचित जाति वर्ग से, 34 अनुसूचित जनजाति वर्ग से और 114 ओबीसी वर्ग से संबंधित थे।
- इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को क्रिसिल, एनएएफआरडी, एनआईबीएम, एफआईएमएमडीए, आईडीआरबीटी, सीएएफआरएएल आदि जैसे ख्यातिलब्ध संस्थानों द्वारा आयोजित /संपन्न विभिन्न विशिष्ट घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं के लिए भी नामित किया गया।
- सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक की ध्येय और दर्शन को प्राप्त करने की अप्रतिम अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए संपन्न किए जाते हैं।

छ सतर्कता

सतर्कता प्रबंध

- मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)
- प्रधान कार्यालय का सतर्कता दल
- अतिरिक्त सतर्कता अधिकारी (एवीओ)
- क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी (आरवीओ)
- क्षेत्रीय कार्यालयों में विभागीय सतर्कता समितियाँ
- प्रधान कार्यालय में केंद्रीय सतर्कता समिति

परिचालनगत ढाँचा

- सतर्कता संबंधी आंतरिक सलाहकार समिति निरीक्षणों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों, कर्मचारियों की जवाबदेही रिपोर्ट आदि से उत्पन्न शिकायतों या तत्संबंधी मामलों की जांच करती है और सीवीओ को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
- सीवीओ द्वारा शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है
- सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निविदा-प्रक्रिया पर सतत निगरानी
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा तिमाही आधार पर सतर्कता कार्यों की समीक्षा
- सतर्कता संबंधी कामकाज का स्वचालन / डिजिटलीकरण

ज बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 88 राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार क्रमशः 99%, 95% और 80% रहा।

हिंदी पत्रिका 'संकल्प' के 99 अंक प्रकाशित।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी टिप्पणियाँ क्रमशः 88%, 85% और 78% रहीं।

45 कार्यालयों और 11 उद्यमों में राजभाषा निरीक्षण संपन्न किया गया।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान 44 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित किए गए।

17वीं अखिल भारतीय सिडबी हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

झ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वित्तवर्ष 2022 के दौरान, 203 आवेदन प्राप्त हुए और निर्धारित समयावधि के भीतर सभी आवेदन निपटाए गए।

बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को 27 अपीलें प्रस्तुत की गई, जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय में निपटाया गया।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष 1 अपील दायर की गई थी और सीआईसी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान इसका निपटारा किया था।

सभी तिमाही ऑनलाइन विवरणियां सीआईसी को समय पर प्रस्तुत की गईं।

ञ सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने अपने प्रत्यक्ष वित्त ऋण परिचालनों पर केंद्रित आद्योपांत डिजिटलीकरण का क्रियान्वयन किया है और इस संबंध में विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। आईटी अवसंरचना के उन्नयन सहित नई एवं प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- **केवाईसी समाधान का कार्यान्वयन:** इसके लाभार्थी स्वामियों के साथ कानूनी संस्थाओं के पूरी तरह से स्वचालित केवाईसी समाधान को लागू किया गया और ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया।
- **ऋण प्रलेखन सॉफ्टवेयर का स्वचालन** जहां एमएसएमई को संपर्करहित और त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए आशयपत्र, ऋण करार, दृष्टिबंधन विलेख, गारंटी विलेख आदि जैसे कानूनी प्रलेख स्वतः उत्पन्न होते हैं और डिजिटल रूप से निष्पादित करने के लिए एकीकृत भी होते हैं।
- बैंक ने जियो टैगिंग के साथ फोटो लेने की सुलभ सुविधा के साथ, दौरे के दौरान ही, साइट पर विज़िट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित साइट विज़िट ऐप्प का क्रियान्वयन किया है।
- **'डिजिटल प्रयास' का प्रवर्तन** - कार्यदिवस की समाप्ति पर ऋण की मंज़ूरी के साथ, कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा सुलभ कराने हेतु एक ऐप्प-आधारित डिजिटल-ऋण मंच का प्रवर्तन किया गया।
- **ट्रेड्स - आरएक्सआईएल ट्रेड्स** के माध्यम से बीजकों /प्राप्य-राशियों के वित्तपोषण के लिए एकीकृत समाधान लागू किया गया।
- सेवाओं और समर्थन टिकटों की लॉगिंग, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक **नए आईटी सेवा प्रबंध समाधान** का कार्यान्वयन शुरू किया गया।
- **विभिन्न आईटी सुरक्षा समाधान** - विभिन्न आईटी सुरक्षा समाधान यथा कोर फायरवॉल, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग (एफआईएम) और डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम), एसेट एंड पैच मैनेजमेंट (एपीएम) आदि का क्रियान्वयन।

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षरी	पूर्ण रूप
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
आरएक्सआईएल	रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया
ट्रेड्स	ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीओवीटी	सरकार
ईपीएस	प्रति शेयर आय
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एसएलएफ	विशिष्ट तरलता सुविधा
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एफआई	वित्तीय संस्था
आरई	विनियमित संस्थाएं
एफएफएस	स्टार्ट-अप हेतु निधियों की निधि
एएफ	ऐस्पायर निधि
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
पीएंडडी	संवर्द्धन एवं विकास
एससीएफ	स्वावलंबन चुनौती निधि
एससीके	स्वावलंबन संपर्क केंद्र
पीएमयू	परियोजना प्रबंध इकाई
एमओएफएएचडी	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मुद्रा	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ऐंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
एमएलआई	सदस्य ऋणदात्री वाली संस्था
एसवीसीएल	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड
ईसीएलजीएस	आपातकालीन ऋणसीमा गारंटी योजना
एससीडीएफ	सिडबी क्लस्टर विकास निधि
एसएआरबी	विशिष्ट आस्ति वसूली शाखा

संक्षेपाक्षरी	पूर्ण रूप
ईएलएससी	त्वरित ऋण सेवा केंद्र
एनआईटी	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
आपीएस	प्रति शेयर आय
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
आईएफवी	संस्थागत वित्त उद्-भाग
ओआएम	मूल उपकरण निर्माता
एएफडी	एजेंस फ्रैंकेज डि डेवलपमेंट
एडीबी	एशियन डेवलपमेंट बैंक
केएफडब्ल्यू	क्रेडिटटांस्टाल्ट फर वीडराफबउ
जीआईजेड	ड्यूश जेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसमेनारबीट
आईडीएफसी	इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस क्लब
डीपीआईआईटी	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
वीसीएफ	उद्यम पूंजी निधि
डब्ल्यूसीटीएल	कार्यशील पूंजी सावधि ऋण
एलआई	ऋणदात्री संस्थाएं
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
क्रिसिल	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएएचआर	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी
एनआईबीएम	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एफआईएमएमडीए	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
सीएएफआरएल	सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग
आरटीआई ऐक्ट	सूचना का अधिकार अधिनियम
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
एमओए	आयुष मंत्रालय

डिबेंचर ट्रस्टी

सिडबी के बकाया अरक्षित बांड/डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण निम्नलिखित है।

	वित्तवर्ष 2020-21 और वित्तवर्ष 2021-22
डिबेंचर ट्रस्टी के नाम	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड
पत्राचार का विवरण	एशियन बिल्डिंग, भू-तल, 17, आर. कमानी मार्ग, बालार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001
संपर्क	श्री रितोब्रत मित्रा
सीधा	+91 22 40807023
मोबाइल	+91 9892258709
फैक्स	+91 22 66311776
ई-मेल	itsl@idbitrustee.com / response@idbitrustee.com
वेबसाइट	http://www.idbitrustee.com

अंदर

परिशिष्ट-I	पृष्ठ 01-42
परिशिष्ट-II	पृष्ठ 43-88

परिशिष्ट-I

सिडबी के लाभ हानि लेखा और
नकदी प्रवाह विवरणी के साथ
लेखापरीक्षित तुलन पत्र

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मंतव्य

हमने **"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक"** ("बैंक") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ और हानि लेखे, समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण एवं एकल वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियाँ शामिल है, इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गयी है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 तक बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व नकदी प्रवाह, बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं एवं यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियमन 14 (1), और भारत में आमतौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

मंतव्य का आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार संपन्न की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत भी किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त है और एकल वित्तीय विवरण के बारे में हमारी धारणा के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

हम 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के परिचालन और आस्ति गुणवत्ता पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में एकल वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची XVI के नोट संख्या 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसा कि उसमें कहा गया है, निरंतर अनिश्चितताओं को देखते हुए, बैंक के परिचालन और वित्तीय स्थिति पर महामारी के प्रभाव का असर और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगी।

इन मामलों के संबंध में हमारे मंतव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय वे विषय हैं जो हमारी पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय कायम करने के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समाधान प्रस्तुत किया गया और इन विषयों पर हम अलग से कोई राय नहीं देते। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषयों का विवरण

	लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची VIII)	
(i)	अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; और नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण और सावधि ऋण सहित प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (भा रि बैंक) ने बैंकों के अग्रिमों ('आईआरएसीपी मानदंड') के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड' निर्धारित किए हैं, जिसमें कोविड-19 नियामक पैकेज -आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में जारी परिपत्र भी शामिल हैं।	अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की लेखा नीतियों को समझना और उन पर विचार करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आईआरएसीपी मानदंड) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न मौजूदा अनिश्चित आर्थिक वातावरण को देखते हुए अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के पहचान (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्गठित अग्रिमों सहित) के लिए उचित तंत्र की स्थापना हो और बैंक से अपेक्षित है कि विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की मात्रा की पहचान कर उसे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण श्रेणी के निर्णय को लागू करे। महत्वपूर्ण निर्णय और एनपीए की पहचान के लिए प्राक्कलन और प्रावधान तथ्यात्मक रूप से मिथ्याकथन को जन्म दे सकते हैं: • आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान की पूर्णता और समय; • ऋण जोखिम, कितने वर्ष से है और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति की वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का मापन; • अनर्जक आस्तियों पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन। अग्रिमों के वर्गीकरण, अनर्जक आस्ति की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का निर्माण (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत पुनर्रचित अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान सहित) और अग्रिमों पर आय की पहचान: • बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता है; • कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले वर्ष के दौरान आईआरएसीपी मानदंडों में परिवर्तन के साथ संरेखित होने की आवश्यकता • बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है; हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में सुनिश्चित किया है।	• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर ह्रासित खातों की पहचान और प्रावधानीकरण के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना। • बैंक द्वारा अनर्जक आस्तियों की पहचान को शामिल करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएं संपन्न करना। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: (क) एप्लिकेशन सिस्टम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के परीक्षण पर विचार किया जहां अग्रिमों को अभिलेखित किया जाता है। (ख) दबाव की पहचान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की बड़ी जमाराशियों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक द्वारा व अन्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए खातों पर विशेष उल्लेख किये गए खातों ("एसएमए") के रूप में ध्यान में रखते हुए विचार। (ग) मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण की समीक्षा, आहरण शक्ति गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करना (घ) ऋण और जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को पढ़ना और ऋण विभाग के साथ यह पता लगाने के लिए पूछताछ करना कि क्या दबाव के संकेतक थे या ऋण खाते या किसी उत्पाद में चूक की घटना हुई थी। (ङ) बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा को ध्यान में रखते हुए विचार करना। (च) बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आईआरएसीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन पर आरबीआई परिपत्र के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना। (छ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच। पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खातों के महत्व सहित कारकों के आधार पर यथा आस्ति वर्गीकरण तिथियों का, अप्राप्त ब्याज का व्युत्क्रमण, उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण का नमूना आधार पर परीक्षण किया। हमने प्रमुख आगत कारकों पर विचार करने के बाद अनर्जक आस्तियों के प्रावधान की पुनर्गणना की और उससे प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हमारे मापन परिणाम की तुलना की।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

(ii) निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और प्रावधान (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची VII)

निवेशों को कोषागार परिचालनों और व्यवसाय परिचालनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधियों और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र और निर्देश अन्य बातों के साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय का अनिर्धारण और अनर्जक निवेशों के प्रति प्रावधानीकरण को समाहित करते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों के प्रत्येक संवर्ग (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफबीआईएल / एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई पर उद्धृत दरों से, एनएसई, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से आंकड़े / सूचना का संग्रह भी शामिल है।

हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों, एचटीएम बुक के आधार पर ह्रासित मूल्यांकन हेतु प्रबंधन का निर्णय, विनियामक ध्यान केन्द्रित करने का स्तर और बैंक के वित्तीय परिणामों के लिए समग्र महत्व के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर, वीसीएफ) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन के निर्णय की वजह से निवेश के मूल्यांकन और अनर्जक निवेशों की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचान की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाएं परिपत्रों/ निर्देशों में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और संबंधित प्रावधानीकरण/ निवेश के मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से -

- हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का व्युत्क्रमण और निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और उसे समझा;
- हमने इन निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और निरूपण किया;
- चालू निवेश के चयनित नमूने लेकर हमने प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;
- हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप रखे जाने वाले प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न कीं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार किए गए प्रावधान की पुनर्गणना की और अनर्जक निवेश के उन चयनित नमूने के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार आय का उपचय किए जाने का परीक्षण किया है

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ('आईटी') प्रणाली और नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं सिस्टम में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं, इतना जोखिम विद्यमान है कि आईटी नियंत्रण पर्यावरण में अंतरालों के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड भौतिक रूप से गलत हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचान की है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में:

- हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
- बैंक के पास उचित समयावधि में पहचाने गए एप्लिकेशन सिस्टम का एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर लेखापरीक्षण की व्यवस्था है। शाखाओं में सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के अधिकारियों द्वारा उचित समयावधि में की जाती है।
- हमने बाह्य सलाहकारों द्वारा किए गए एप्लिकेशन सिस्टम ऑडिट और शाखाओं में किए गए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की समीक्षा की है और उन पर भरोसा किया है।

लेखा-परीक्षा के प्रमुख विषय	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
(iv) प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XV के नोट 10 और नोट 12)	
प्रत्यक्ष कर सहित कुछ मुकदमों के प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची XI) और विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं (एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची V) की पहचान एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र के रूप में की गई। आवश्यक प्रावधान के स्तर का अनुमान करने के साथ-साथ कर-मामलों और अन्य कानूनी दावों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण में उच्च स्तर का निर्णय शामिल है। बैंक का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के तथ्यों, उनका अपना निर्णय, विगत अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर-सलाहकारों की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम, बैंक द्वारा सूचित लाभ और तुलन-पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारी लाभ विषयक देयताओं के मूल्यांकन की गणना कई बीमांकिक मान्यताओं और निविष्टि सहित डिस्काउंट दर, मुद्रास्फीति की दर और मृत्यु दर के संदर्भ में की जाती है। इस संबंध में वित्तपोषित आस्तियों का मूल्यांकन भी पूर्वानुमानों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। हमने उन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है जिसमें कानून की व्याख्या, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और उनके पूर्वानुमानों में निर्णय के संप्रयोग की आवश्यकता होती है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण /प्रक्रियाओं में यह शामिल था: • मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना; • विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हालिया आदेशों और/या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; • बैंक के कर-सलाहकारों के मंतव्य सहित उसमें प्रस्तुत आधारों और उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी /कर-सलाह के संदर्भ में विचाराधीन विषयवस्तु के गुणावगुणों की योग्यता का मूल्यांकन करना; • बैंक के तर्कों का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, चर्चा के माध्यम से, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रह; संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्गमन; तथा • आंकड़ों की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना, योजनाओं की आस्तियों के उचित मूल्य का मापन, विशिष्ट योजनाओं और प्रचलित प्रथाओं के साथ कर्मचारी देनदारियों को महत्व देने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली धारणाओं को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों को समझना। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रत्याशित आयु अनुमानों की प्रासंगिक मृत्यु तालिका, बेंचमार्किंग मुद्रास्फीति और बाहरी बाजार के आंकड़ों के मुकाबले छूट दरों की तुलना करके बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई मान्यताओं का आकलन शामिल था। • हमने योजना आस्तियों के मूल्य का सत्यापन, योजना आस्तियों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा दिए गए विवरणों से किया है। • एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मुकदमों, कराधान मामलों और कर्मचारी लाभ देनदारियों से संबंधित खुलासे का सत्यापन।

एकल वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है या नहीं। अन्यथा तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम इस मामले को अभिशासन के प्रभारी तक पहुंचाएं।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में ज़िम्मेदार है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम, 2000 के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृश्य देते हैं और लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस ज़िम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और

विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता के आकलन, यथास्थिति लाभप्रद प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटन तथा जब तक प्रबंधन बैंक के समापन अथवा उसके परिचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, तब तक लाभप्रद प्रतिष्ठान का आधार प्रयोग करते रहने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण के कपट से अथवा त्रुटिवश होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या-कथन से रहित होने का आश्वासन प्राप्त करना, और एक ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। समुचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन होता है, किन्तु यह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप की गयी लेखापरीक्षा में सदा ही किसी तथ्यात्मक मिथ्या कथन की मौजूदगी का पता चल जाएगा। मिथ्याकथन कपट अथवा त्रुटिवश हो सकते हैं और उन्हें एकल रूप से अथवा सम्मिलित रूप में तब तथ्यात्मक माना जाता है जब इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के उन मिथ्याकथनों से पर्याप्त रूप में प्रभावित होने की संभावना हो।

लेखापरीक्षा-मानक के अनुरूप लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम समूची लेखापरीक्षा-प्रक्रिया के दौरान पेशेवराना विवेक का उपयोग करते हैं और पेशेवराना सावधानी बनाए रखते हैं। साथ ही, हम

- कपटपूर्वक अथवा त्रुटिवश वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान व आकलन करते हैं, उक्त जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करके उन्हें संपन्न करते हैं और लेखापरीक्षा का ऐसा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मंतव्य का आधार बनने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। किसी कपट के फलस्वरूप तथ्यात्मक मिथ्याकथन के पता न चलने का जोखिम त्रुटिवश हुए मिथ्याकथन के जोखिम की तुलना में बड़ा होता है, क्योंकि कपट में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, मिथ्या प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी का हाथ हो सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करते हैं, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सके जो उक्त परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो किन्तु प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से न हो।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों तथा प्रबंधन द्वारा एकल वित्तीय विवरणियों में किए गए तत्संबंधी प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभप्रद प्रतिष्ठान-आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा-प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है जिसके फलस्वरूप लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता पर कोई उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न होता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हम एकल वित्तीय विवरणों में तत्संबंधी प्रकटनों अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपने मंतव्य में संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गये लेखापरीक्षा- प्रमाणों पर आधारित हैं। किन्तु, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में समूह का जारी रहना बन्द हो सकता है।

- वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रकटन और यह देखना भी शामिल है कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित व घटनाओं को इस रूप में दर्शाए, जिससे उचित प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

हम अभिशासन-प्रभारियों के साथ अन्य विषयों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों व आंतरिक नियंत्रण की ऐसी उल्लेखनीय कमियों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया हो।

अभिशासन-प्रभारियों को हम वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने निष्पक्षता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए तैयार किया है। साथ ही, हम उन्हें अपने उन संबंधों व अन्य विषयों की सूचना भी देते हैं जिससे हमारी निष्पक्षता और जहाँ लागू हो, वहाँ तत्संबंधी सुरक्षा-उपायों पर समुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों में, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वो प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक उन विषयों को नहीं उठाते जब तक कि कानून या विनियमन, मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबाधित नहीं करता या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक हैं।

अन्य विषय

(i) इन एकल वित्तीय परिणामों में प्रधान कार्यालय सहित हमारे द्वारा दौरा किए गए / लेखापरीक्षित 26 शाखाओं के प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिसमें 31 मार्च 2022 को अग्रिमों वार्षिक प्रतिवेदन का 95.50%, जमाओं का 99.22% और उधार का 100% शामिल हैं और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 91.95% तथा जमा पर ब्याज व्यय का 98.28% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% भी शामिल है। इन शाखाओं का चयन बैंक के प्रबंधन के परामर्श से किया गया है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान,

हमने बैंक की शेष शाखाओं से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है जो हमारे द्वारा नहीं देखी गई हैं और प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं।

हमारी राय में उपरोक्त मामलों के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

एकल तुलन-पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सामान्य विनियम 2000 के विनियम 14(i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने वह समस्त सूचना व स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारी राय में, जहां तक खाता-बहियों की जाँच से हमारे देखने में आया है, बैंक ने विधित: उपयुक्त खाता बहियाँ तैयार की है।

(ग) बैंक शाखाओं और कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त थीं।

(घ) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से ऐसा प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है।;

(ङ) इस रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त एकल तुलन पत्र, एकल लाभ-हानि लेखा, एकल नकद प्रवाह विवरण खाता बहियों के अनुरूप है।

(च) हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है

कृते बोरकर एवं मुजूमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या - 101569W

दर्शित दोषी
साझेदार
सदस्यता संख्या- 133755

स्थान: मुंबई
तिथि: 17 मई, 2022
यूडीआईएन: 21133755AAAABW9847

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2022

(राशि ₹ में)

	अनुसूचियां	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
पूंजी और देयताएं			
पूंजी	I	5,68,54,11,690	5,31,92,20,310
आरक्षितियां, आधिक्य और निधियां	II	2,40,14,53,18,104	2,07,56,28,92,633
जमा	III	14,08,78,42,74,899	12,44,12,11,71,085
उधार	IV	7,57,12,43,67,199	3,90,90,19,08,226
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	V	62,04,01,28,691	75,31,92,47,651
आस्थगित कर देयता		74,55,585	-
कुल		**24,73,78,69,56,168**	**19,23,22,44,39,905**
आस्तियां			
नकद एवं बैंक शेष	VI	1,79,18,31,07,719	1,38,07,95,68,421
निवेश	VII	2,39,51,55,92,224	1,91,53,46,78,481
ऋण एवं अग्रिम	VIII	20,22,51,78,47,539	15,62,32,79,99,814
अचल आस्तियां	IX	2,93,12,40,397	2,77,32,26,435
अन्य आस्तियां	X	29,63,91,68,289	28,50,89,66,754
कुल		**24,73,78,69,56,168**	**19,23,22,44,39,905**
आकस्मिक देयताएं	XI	53,37,90,27,297	59,50,61,36,098
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XV		
लेखांकन विषयक टिप्पणियां	XVI		
उपर्युक्त अनसुचियाँ तुलन-पत्र का अविभाज्य अंग हैं			

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते बोरकर एंड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-101569W

राजेन्द्र अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

सुदत्त मण्डल
उप प्रबंध निदेशक

वी सत्य वेंकट राव
उप प्रबंध निदेशक

शिवसुब्रमणियन रमण
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दर्शित दोशी
साझेदार
सदस्यता संख्या-133755

डॉ. गोपालकृष्ण
निदेशक

आशीष गुप्ता
निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 17 मई, 2022